

# खेलकूद-प्रतियोगिता मार्गदर्शिका

Work Camp

1. T.T. (10) - Kamini + Dimple.
2. Chess Centre - Jagadish + Medha.
3. Football (MS) - Nagash.

**उच्च शिक्षा विभाग**  
**छत्तीसगढ़ शासन**



**प्रकाशन वर्ष - 2015-2016**

**प्रेम प्रकाश पाण्डेय**  
मंत्री

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास,  
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं  
जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं  
प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन



फोन : 0771-2510321, 222132 (मंत्रालय)  
निवास : बी-1, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)  
फोन (नि) : 0771-2446440  
निवास : सेक्टर-9, सड़क नं.-11,  
बंगला नंबर-1, भिलाई  
फोन : 0788-2242590

क्रमांक 483/2016 मंत्री/रा.आ.प्र.उ.शि.त.शि.ज.नि.वि.प्रौ./2015-16

रायपुर, दिनांक 24/04/2016




## संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्न है कि विभाग के द्वारा खिलाड़ी छात्र-छात्राओं के लिए "खेलकूद प्रतियोगिता मार्गदर्शिका" का प्रकाशन प्रारम्भ हो जा रहा है।

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अकादमिक अध्यापन के साथ-साथ उनके खेल प्रतिभा का विकास करना अत्यन्त जरूरी है क्योंकि खेल जगत से मिलने वाली सफलता से विश्वपटल पर प्रदेश के साथ-साथ राष्ट्र की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा खेल के क्षेत्र में आगे आते हैं किन्तु सही मार्गदर्शन के अभाव में खेल प्रतिभाएँ आगे बढ़ने से वंचित रह जाते हैं।

प्रदेश में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं इसके लिए एक स्वस्थ वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर अनेक प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। इसी कड़ी में "खेलकूद प्रतियोगिता मार्गदर्शिका" का प्रकाशन एक सराहनीय प्रयास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मार्गदर्शिका के माध्यम से खिलाड़ी युवाओं को उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

खेलकूद मार्गदर्शिका के प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

  
(प्रेमप्रकाश पाण्डेय)

डॉ० बी०एल० अग्रवाल  
भा.प्र.से.

प्रमुख सचिव



छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
अर्द्ध शा. पत्र क्रमांक 640/PS/PA/2016  
दिनांक 13/04/2016

## संदेश

आज के इस दौर में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण घटक है। इस हेतु शासन जहां एक ओर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं खेलकूद की गतिविधि को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के पश्चात एक दशक के समय में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के बीच एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इसी संदर्भ में विभाग द्वारा "खेलकूद प्रतियोगिता मार्गदर्शिका" का प्रकाशन किया जा रहा है।

आशा है इस मार्गदर्शिका के माध्यम से प्रदेश के छात्र-छात्राओं को खेलकूद की गतिविधियां संचालित करने में मदद मिलेगी तथा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का उचित अवसर प्राप्त होगा।

मार्गदर्शिका के सफल प्रकाशन हेतु शुभकामनायें।

  
(डॉ. बी. एल. अग्रवाल)

—	२१५२।	
—	प्राक्कथन, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा एवं अपर संचालक उच्च शिक्षा	01
1.	मार्ग दर्शिका-भूमिका	03
2.	प्रतियोगिता स्वरूप — सहभागी संस्थाएं — वित्त समन्वय	05
3.	मार्गदर्शन की भूमिका — आयोजन स्थान तिथियां कैलेण्डर, प्रविष्टि, जुड़नार	09
4.	पात्रता-निर्णय (डाक्यूमेन्ट्स) पात्रता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति	11
5.	छत्तीसगढ़ विभागा शिक्षा विभाग खेल आयोजन व्ययभार से संबंधित जानकारी	14
6.	व्यवस्थापक-ध्वज व्यवस्थापक, निर्णायक, प्रेक्षक, प्रतिवाद मैच में रूकावट, अशासनिक कार्यवाही, अपील के अधिकार, प्रविष्टि वापसी, प्रमाण-पत्र, चयन।	16
7.	प्रतियोगिता आयोजन-समितियाँ, वित्त प्रबन्धन, दैनिक भत्ता, निर्णायक संख्या एवं शुल्क, गणवेश, आयोजन-व्यय।	20
8.	परिशिष्ट —	
1.	आयोजित होने वाले खेलों की सूची	25
2.	प्रतियोगिता आयोजन के लिए प्रस्ताव-प्रारूप	26
3.	एथलेटिक्स, प्रतियोगिता, विस्तृत प्रविष्टि प्रपत्र	27
4.	जुड़नार (फिक्सर) डालने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रादर्श	29
5.	खेलकूद प्रतियोगिता हेतु पात्रता प्रस्तुति प्रपत्र	31

अंतर्महाविद्यालय, परिक्षेत्र, राज्यस्तर, खेलकूद प्रतियोगिता हेतू पात्रता प्रस्तुति प्रपत्र (ELIGIBILITY FORM PROFORMA)	39
राज्य के शासकीय महाविद्यालयों की सूची	41
राज्य में संचालित 14 अनुदान प्राप्त अंतर्महाविद्यालयों की सूची	50

## प्राक्कथन

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्वपूर्ण अध्ययन, अध्यापन है उतना ही महत्वपूर्ण खेलकूद भी है। महाविद्यालयों में दोनों ही गतिविधियां संचालित होती रहे, तभी सर्वांगीण शिक्षा शब्द को हम सार्थक कर सकेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस नये राज्य में हम सबका प्रयास होगा कि हम अपने महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं में न केवल खेलकूद के प्रति रूचि जागृत करें वरन् इसके लिए यथा संभव सुविधाएं भी महाविद्यालयों में उपलब्ध करायें।

इस नाते नये छत्तीसगढ़ राज्य में जहां खेलकूद के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं, वहीं चुनौतियां भी कुछ कम नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि नये राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष कर खेलकूद के क्षेत्र में इन चुनौतियों से पार पाने में हम सफल होंगे।

मुझे यह भी विश्वास है कि छत्तीसगढ़ राज्य में खेलकूद के क्षेत्र में एक सुन्दर माहौल का निर्माण होगा, जिससे राज्य में खेलकूद के प्रति छात्र-छात्राओं में रूचि जागृत होगी। जिसके फलस्वरूप खेलकूद के क्षेत्र में हमारा राज्य सम्पूर्ण देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो सकेगा।

इस संशोधित खेल मार्गदर्शिका को उपयोग में लाने के लिए हमारे अधिकारियों ने यथेष्ट परिश्रम किया है फिर भी अगर भविष्य में इसके लिए और भी सुझाव आते हैं तो उसे भी हम सहज ही इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे।

इसी आशा और विश्वास के साथ।

(डॉ. बी. एल. अग्रवाल)

प्रमुख सचिव सह आयुक्त

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

## दो शब्द

शिक्षा का अर्थ केवल कक्षा में अध्ययन-अध्यापन नहीं है, अपितु खेलकूद भी शिक्षा में सम्मिलित है। हमारे छात्र-छात्राओं के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए आज इसी प्रकार की सर्वांगीण शिक्षा की आवश्यकता है। इस दृष्टि से 1 नवम्बर सन् 2000 को अस्तित्व में आये हमारे इस नये राज्य छत्तीसगढ़ में शिक्षा के समुचित विकास के लिए अध्ययन-अध्यापन के साथ ही खेलकूद भी नितांत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि हमारा यह राज्य शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर पाने में सफल हो, इसी के साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि खेलकूद के क्षेत्र में हमारा यह राज्य पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। इसके लिए हम अपने महाविद्यालयों में जहां शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना चाहते हैं वहीं खेलकूद की गतिविधियों को भी प्रात्साहित करना चाहते हैं।

खेलकूद प्रतियोगिता मार्गदर्शिका के अनुरूप 2001 से 2015 तक लगभग 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के अर्न्तगत विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है मगर इस 15 वर्ष के सफर में बहुत से परिवर्तन आये हैं, चाहे वह खेलकूद नियम से सम्बन्धित हो या वित्त से सम्बन्धित हो या गणवेश से या महाविद्यालय की संख्या इस परिवर्तन का उल्लेख नये प्रकाशित होने वाले मार्गदर्शिका में किया जाना उचित होगा।

इसी प्रयास के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता मार्गदर्शिका में संशोधन कर प्रकाशन का निर्णय लिया गया है ताकि छात्रों को और विशेष कर महाविद्यालयों में खेलकूद की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने में सुविधा हो। छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खेलकूद की प्रतियोगिताओं को 03 स्तरों पर संपादित करने का निर्णय लिया गया है। महाविद्यालय स्तर पर, परिक्षेत्र स्तर पर, राज्य स्तरीय (अन्तरपरिक्षेत्र स्तर) पर, आयोजित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन का व्यय, खिलाड़ियों का गणवेश, निर्णायकों का व्यय, छात्र-छात्राओं का टी.ए.डी.ए. एवं खेल नियमों में परिवर्तन को ध्यान रखते हुए खेल मार्गदर्शिका को संशोधित कर नए संस्करण प्रकाशन हेतु खेल मार्गदर्शिका संशोधन समिति का गठन किया गया है जिनके संयोजक - उच्च शिक्षा खेल प्रभारी डॉ. विपिन चन्द्र शर्मा, सदस्यगण - डॉ. विष्णु श्रीवास्तव, डॉ. अतुल शुक्ला, डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, डॉ. प्रकाश ठाकुर, डॉ. प्रमोद मेने, डॉ. नरेश धर दिवान, श्री रूपेन्द्र सिंह चौहान, श्रीमति रिबेकाबेन, डॉ. जी.एम. हसन (सेवानिवृत्त), श्री बी.एस. चंदेल (सेवानिवृत्त) ने संशोधित मार्गदर्शिका तैयार करने में सहयोग दिया।

मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ जैसे उर्वर एवं सुन्दर प्रदेश में इस मार्गदर्शिका के माध्यम से खेलकूद की गतिविधियों को संचालित करने में न केवल मदद मिलेगी वरन् इन गतिविधियों के द्वारा खेलकूद के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उभरती हुई प्रतिभाओं को गढ़ने एवं संवारने में भी मदद मिलेगी।

(डॉ. के. एन. बापट)

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा विभाग  
छत्तीसगढ़ शासन

## मार्गदर्शिका की भूमिका

एक नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत के 26 वे राज्य के रूप में अस्तित्व में आया यहाँ 04 प्रशासनिक संभाग एवं 28 जिले हैं इसका भौगोलिक क्षेत्र 1,35,194 वर्ग कि.मी. है, जो भारत के क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत है।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने से खेल एवं खेलकूद सुविधाओं की संभावना बढ़ी है क्योंकि प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल मैदान हेतु स्थान सुरक्षित किया जा रहा है। साथ ही राज्य में उपलब्ध खेल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश विभिन्न जिला में स्थित कालेजों को राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे अपने खेल संसाधनों का विस्तार कर खिलाड़ी छात्र/छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान कर सके।

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय हमारे पास 03 विश्वविद्यालय 116 शासकीय महाविद्यालय एवं 226 अशासकीय महाविद्यालय थे, विस्तार एवं विकास को चुनौती देते हुए आज राज्य में 07 राजकीय विश्वविद्यालय 01 केन्द्रिय विश्वविद्यालय 06 निजी विश्वविद्यालय 181 शासकीय महाविद्यालय एवं 258 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं अप्राप्त महाविद्यालय संचालित हैं।

प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शारीरिक मानसिक तथा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के खेलों का नौ सेक्टरों में विभक्त करके पहले सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता है, तथा उसके बाद सेक्टर की टीमों का चयन करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का योजन कराता है। जहाँ पर 04 विश्वविद्यालयीन टीमों का चयन (पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर एवं बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर) किया जाता है। चयन की गई टीम अखिल भारतीय विश्व वि. संघ नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतर् विश्व विद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 16 खेल विधाओं का आयोजन कराया जाता है क्रिकेट (पु), फुटबाल (पु), ब्हालीबाल (म/पु) कबड्डी (म/पु) खो-खो. (म/पु) बास्केटबाल (म/पु) बैडमिंटन (म/पु) टेबल टेनिस (म/पु) शतरंज (म/पु) एथलेटिक्स (म/पु) हेन्डबाल (म/पु) लॉन टेनिस (म/पु) इन्ही प्रतियोगिताओं का सेक्टर एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होती है जो शासन द्वारा सम्पन्न करवाया जाता है इसके अतिरिक्त अन्य खेलों (तैराकी (म/पु), क्रास कन्ट्री (म/पु), नेटबाल (म/पु), क्रिकेट (म.) बाक्सिंग (पु) आरचरी (म/पु), फुटबाल (म) टेनिस (म/पु), कुस्ती (म/पु), हॉकी (म/पु), साटबाल (म/पु), जुडो (म/पु), बाल बैडमिंटन (म/पु), बॉडी बिल्डिंग (पु),, वेटलिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग (म/पु) नौकायान (म/पु) को विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करवाया जाता है।

उच्च शिक्षा द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में उच्च शिक्षा विभाग में अध्ययनरत समस्त नियमित छात्र/छात्राएँ भाग ले सकते हैं जो कि खेल के नियमों एवं उचित मापदण्डों के तहत आते हों A.I.U. (आल इंडिया, युनिवर्सिटी) अखिल भारतीय वि.वि. संघ नई दिल्ली द्वारा निर्धारित रहती है।

महाविद्यालय में चयनीत खिलाड़ी जो सेक्टर स्तर (परिक्षेत्र स्तर) पर खेलने जाते हैं, उन्हें महाविद्यालय से सुविधानुसार महाविद्यालय से टीशर्ट-निकर तथा अन्य सुविधा महाविद्यालय के खेल बजट के

अनुरूप प्रदान किया जाता है, यह खर्च महाविद्यालय वहन करती है। इस परिक्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में वेचयनीत खिलाड़ी राज्य स्तरीय (इंटर सेक्टर) प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जहाँ इन्हे टीशर्ट-नीकर (गणवेश) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, यह सुविधा पुरे नौ सेक्टर के खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय सभी खेलो में प्रदान किया जात है। इसके लिए सेक्टर के प्रतियोगिता आयोजक कालेज को गणवेश के लिए चेक द्वारा राशि प्रतियोगिता के पूर्व उपलब्ध कराई जाती है जिसमे प्रतियोगिता आयोजन हेतु सबसीडी राशि विधावार उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि अशासकीय आयोजक महाविद्यालय को सबसीडी राशि चिन्हित महाविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्य स्तर में विजेता एवं उपविजेता टीमों को वैजन्तिका (ट्रॉफी) प्रदान किया जाता है।

खेलकूद प्रतियोगिता मार्गदर्शिका के अनुरूप 2001 से 2015 तक लगभग 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के अर्न्तगत विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मगर इस 15 वर्ष के सफर में बहुत से परिवर्तन आये हैं, चाहे वह खेलकूद नियम से सम्बधित हो, या वित्त से सम्बधित हो या गणवेश से या महाविद्यालय की संख्या इस परिवर्तन का उल्लेख नये प्रकाशित होने वाले मार्गदर्शिका में किया जाना उचित होगा। नये मार्गदर्शिका के निर्माण के लिए शासन द्वारा एक समिति गठित की गई जिसमे निम्न बातों पर चर्चा की गई।

1. नये विश्वविद्यालय का उदय
2. सेक्टर के बारे मे चर्चा
3. नये महाविद्यालय के बारे में चर्चा
4. वित्त समन्वय एवं आयोजन व्यय सेक्टर एवं राज्य स्तर के बारे में चर्चा
5. कलेण्डर के बारे मे चर्चा
6. पात्रता (एलिजिबिलीटी) के बारे मे चर्चा
7. वित्त आबंटन के बारे में चर्चा
8. मैच निर्णायक / टेबल आफिसियल / लाइनमेन / स्कोरर के शुल्क के बारे चर्चा
9. सबसीडी राशि के बारे में चर्चा
10. अन्य खेलकूद के विकास के सम्बन्ध में चर्चा
11. शारीरिक शिक्षा शुल्क संबंधी चर्चा

उपरोक्त बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श कर समिति ने कुछ संशोधन के साथ अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग के खेलकूद की संशोधित मार्गदर्शिका से पुरे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा अपितु खेलकूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगा।



## प्रतियोगिता का स्वरूप

### 2.1 स्वरूप

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाविद्यालय में जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी उनकी सूची निम्नानुसार है –

1.	फुटबाल	–	पुरुष		
2.	क्रिकेट	–	पुरुष		
3.	बैडमिंटन	–	पुरुष	–	महिला
4.	व्हालीबाल	–	पुरुष	–	महिला
5.	कबड्डी	–	पुरुष	–	महिला
6.	खो-खो	–	पुरुष	–	महिला
7.	बास्केटबाल	–	पुरुष	–	महिला
8.	टेबल टेनिस	–	पुरुष	–	महिला
9.	शतरंज	–	पुरुष	–	महिला
10.	एथलेटिक्स	–	पुरुष	–	महिला
11.	हैंडबाल	–	पुरुष	–	महिला
12.	लॉन टेनिस	–	पुरुष	–	महिला

सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि पुरुष टीमों में 12 खेलों में भाग लेगी एवं महिला टीम 10 खेलों में भाग लेगी ये प्रतियोगिताएं अखिल भारतीय अंतर्विश्वविद्यालयीन खेल संघ द्वारा निर्देशित पद्धति से (नॉक आउट तथा लीग पद्धति के आधार पर) आयोजित की जायगी यदि प्रतियोगिता दलों की संख्या 04 या 04 से कम होती है तो प्रतियोगिता आवश्यक रूप लीग पद्धति के आधार पर आयोजित होगी।

### सहभागी संस्थाएं

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग में 07 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 04 विश्वविद्यालय सहभागी संस्था हैं :-

- (1) पं. रविशंकर विश्व विद्यालय, रायपुर
- (2) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
- (3) सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर
- (4) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर
- (5) दुर्ग विश्वविद्यालय इसके अलावा
- (6) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर
- (7) पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर
- (8) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़।

## 2.3 स्तर एवं सहभागी :

ये प्रतियोगिता क्रमशः सेक्टर स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित होती है :-

### सेक्टर स्तर (परिक्षेत्रस्तर) :

संस्था में छात्र-छात्राओं की खेलों में अधिक से अधिक सहभागिता के लिए प्रत्येक संस्था में विभिन्न खेलों की आंतरिक (इंटरनल) प्रतियोगिताओं का आयोजन कर महाविद्यालय का टीम बनाकर परिक्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता में अपने परिक्षेत्र शासकीय एवं अर्धशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण संस्थाओं का एक जुड़नार (फिक्चर) के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिसमें विभिन्न महाविद्यालय की टीमों की आपस में प्रतियोगिता पश्चात् आयोजक चयनकर्ता के माध्यम से अपने परिक्षेत्र के दल का चयन करना है। वे अगले चरण में राज्यस्तर अंतरपरिक्षेत्र (इंटर सेक्टर) स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेता है।

### राज्य स्तरीय अंतर् परिक्षेत्र (इंटर सेक्टर) प्रतियोगिताएं

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के तहत विभिन्न 09 सेक्टरों के मध्य नाक आऊट पद्धति से प्रतियोगिता आयोजित होती है। इस प्रतियोगिता में उच्च शिक्षा व विश्वविद्यालय, अंतर परिक्षेत्र प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालय के टीम का चयन होता है, साथ ही यह भी ध्यान रखा जाये की विश्वविद्यालय टीम में चयनीत खिलाड़ी आल इंडिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली (A.I.U.) के मापदण्डों को पूर्ण करता हो यह विश्वविद्यालय के चयन समिति दल द्वारा ध्यान रखा जाता है।

राज्य स्तरीय विजेता एवं उपविजेता दल को वैजन्तिका (ट्राफी) तथा प्रमाण पत्र उच्चशिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

हर वर्ष उच्च शिक्षा विभाग ने नियमित खेल कलैण्डर निर्मित किया जाता है।

(क) **कैलेण्डर** - उच्च शिक्षा विभाग का खेल कैलेण्डर बनाते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए की अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ द्वारा अंतर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हेतु प्रसारित खेल प्रतियोगिता की तिथि से पूर्व ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सम्पन्न कराए जाए।

(ख) **प्रतियोगिता नियम** - उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित खेल प्रतियोगिता में उन सभी नियमों का समावेश किया जायेगा, जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन खेल संघ के अंतर्विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं हेतु बनाए गए हैं तथा पात्रता नियम, खेल नियम, सहभागियों की संख्या, प्रतियोगिता की पद्धति (लीग / नाक आऊट) आदि बनाते समय उक्त नियमों (A.I.U.) का ध्यान रखा जाए।

(ग) **दल** - उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 12 खेल विधाओं की अंतर्परिक्षेत्र प्रतियोगिता से गठित दल ही विश्वविद्यालय के दल होंगे अतः विश्वविद्यालय की टीम चयन हेतु गठित, चयन

समिति जो कुलपति द्वारा अनुमोदित है, के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग होंगे। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय दल के खिलाड़ियों का चयन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

- (घ) **दल नायक** - दल नायक का मनोनयन संबन्धित महाविद्यालय के प्रचलित मापदण्डों के आधार पर होगा। वरिष्ठता का विशेष ध्यान रखा जावेगा।
- (ङ) **प्रतियोगिता का फैलाव** - 18 खेल प्रतियोगिता एक ही स्थल पर सिमट कर रह न जाये वरन् उसका लाभ विश्वविद्यालय क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो, इसलिए संबन्धित विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा संचालक, एवं खेल प्रभारी उच्च शिक्षा के साथ मंत्रणा कर विभिन्न खेलों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का फैलाव इस प्रकार करेंगे कि इनका आयोजन क्षेत्र अधिक से अधिक महाविद्यालय तक हो सके।
- (च) **खिलाड़ी प्रतिनिधित्व** - राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 09 सेक्टरों के मध्य प्रतियोगिता द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालय दल में खिलाड़ी चयनीत होंगे। चयनित खिलाड़ी विश्वविद्यालय संचालक के निर्देशानुसार प्रशिक्षण शिविर में भाग लेगा यदि चयनित खिलाड़ी किसी राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहा हो, ऐसी परिस्थिति में वे संचालक शारीरिक शिक्षा एवं अपने प्रतियोगिता आयोजन से संबन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचना प्रपत्र एवं वस्तु स्थिति की जानकारी देकर उन्हें विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

## वित्त समन्वय

उच्च शिक्षा द्वारा जिन बारह खेल विधाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है उसके संबंध में वित्त समन्वय निम्नानुसार होगा।

**अर्तमहाविद्यालय स्तर (सेक्टर लेबल)** की प्रतियोगिता पर होने वाला व्यय क्षेत्र से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त सबसीडी राशि द्वारा खर्च वहन किया जाएगा, संबन्धित विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग के चिन्हित महाविद्यालय के माध्यम से सेक्टर के आयोजक महाविद्यालय को सबसीडी राशि प्रतियोगिता सम्पन्न कराने उपलब्ध कराएगी तथा प्रतियोगिता में अतिरिक्त खर्च राशि आयोजक महाविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

**राज्य स्तरीय प्रतियोगिता (इंटर सेक्टर लेबल)** का खर्च उच्च शिक्षा विभाग वहन करेगा जिस महाविद्यालय को प्रतियोगिता आयोजित करने का दायित्व सौंपा जायगा उसके प्राचार्य को उक्त सबसीडी राशि सौंपी जायगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये चयन समिति सदस्यों को यात्रा भत्ता का भुगतान विश्वविद्यालय में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र के सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जायगा।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 18 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी गणवेश दर राशि 500 रुपये है। अतः 18 खेलों के 2008 खिलाड़ियों को गणवेश दर राशि 500 रुपये प्रति खिलाड़ी की दर से 10,04,000.00 (दस लाख चार रुपये) गणवेश के लिए राशि रखी गई है।

### वित्त प्रबंधन

- (क) अर्न्तमहाविद्यालयीन खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों को प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी 100 रुपये की दर में दैनिक भत्ता देय होगा।
- (ख) राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन 200 रुपये की दर से दैनिक भत्ता देय होगा।
- (ग) दल के साथ जाने वाले टीम मैनेजर/कोच/पर्यवेक्षक को 250 रु. प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा।
- (घ) शासकीय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित क्रीड़ा संबंधित बैठकों में भाग लेने वाले क्रीड़ा अधिकारी/क्रीड़ा प्रभारियों को यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्ता राज्य शासन के नियमानुसार प्रदान किया जायेगा।
- (द) प्रमाण पत्र – उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परिक्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय अन्तरपरिक्षेत्र प्रतियोगिता में विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही सहभागी अन्य खिलाड़ियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जायगा।

उच्च शिक्षा विभाग के तहत समस्त शासकीय एवम् अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से फिस रसीद में रु. 150/- शारीरिक कल्याण शुल्क किया जाता है जिसमें रु. 100/- महाविद्यालय के खेलकूद निधि में तथा रु. 50/- प्रति छात्र की दर से विश्वविद्यालय में राशि जमा कि जाती है, जिससे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में सबसीडी राशि परिक्षेत्र के आयोजक महाविद्यालयों को प्रदान करती है तथा अंतर विश्वविद्यालय विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान करती है, साथ ही उक्त राशि से अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता आयोजित करती है, व विभिन्न खेलों में अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में टीम भेजती है। तथा खेलों से संबंधित अन्य कार्यों में खर्च करती है।



## मार्गदर्शिका की भूमिका

### 3.1 आयोजन स्थल -

(क) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक सेक्टर के चिन्हित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्र के प्रारम्भ में समस्त शासकीय-अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य एवं क्रीड़ा अधिकारियों की बैठक सुनिश्चित करेंगे। इस बैठक में खेल प्रतियोगिता के आयोजन सम्बन्धि जानकारी तथा खेल मैदान, खेल सुविधा की जानकारी सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधि निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-2) प्रस्तुत करेंगे। बैठक में संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, चिन्हित महाविद्यालय के प्राचार्य प्रतियोगिताओं का आबंटन करेंगे। स्थल एवं खेल सुविधाओं के आबंटन के पश्चात अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर समान्यतः कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

- टीप 1. सेक्टर स्तर पर प्रतियोगिता आयोजन संबंधी जो जानकारी विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा द्वारा उपलब्ध करायी जाती है उसका संकलन कर सेक्टर के चिन्हित महाविद्यालय के प्राचार्य / क्रीड़ा अधिकारी राज्य स्तरीय अंतर परिक्षेत्र प्रतियोगिता के आयोजक महाविद्यालय के पास अन्तर परिक्षेत्र प्रतियोगिता के आयोजन के लिए उपलब्ध करायेंगे। ताकि अंतर परिक्षेत्र की प्रतियोगिता में समस्त प्रपत्र सुव्यवस्थित हो।
2. विश्वविद्यालय के संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग को भी इस बैठक में आमंत्रित किया जाये।
- (ख) राज्य स्तरीय अंतर परिक्षेत्र प्रतियोगिता हेतु स्थलों का निर्धारण आयुक्त उच्च शिक्षा के माध्यम से पांचों विश्वविद्यालय क्षेत्र के प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य / क्रीड़ा अधिकारी एवं पांचों विश्वविद्यालय के संचालक के साथ विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के स्थल का निर्धारण करेंगे।

### 3.2 प्रतियोगिता आयोजना तिथिया (वार्षिक खेल कैलेण्डर)-

उच्च शिक्षा विभाग में चिन्हित महाविद्यालयों के क्रीड़ा अधिकारी एवं विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा संचालकों की बैठक कर यथा संभव शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही परिक्षेत्र स्तर एवं राज्य स्तर की 12 खेल विधाओं की आयोजन तिथियों का निर्धारण कर कैलेण्डर प्रकाशित किया जायेगा। इस कैलेण्डर का निर्धारण अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हेतु प्रसारित खेल कैलेण्डर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जावेगा।

### 3.3 प्रविष्टि -

प्रत्येक संस्था अपनी प्रविष्टि, अंतर महाविद्यालयीन परिक्षेत्र स्तर प्रतियोगिता (सेक्टर लेबल) के आयोजक महाविद्यालय को विभाग के कैलेण्डर में दर्शायी गई प्रविष्टि के अंतिम तिथि के पूर्व उपलब्ध कराएगी। प्रविष्टि की एक प्रतिलिपि परिक्षेत्र के चिन्हित महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित की जाएगी।

राज्य स्तरीय (इंटर सेक्टर) प्रतियोगिता में 9 सेक्टरों द्वारा उक्त में से आयोजित महाविद्यालय को प्रविष्टि के लिए निर्धारित तिथि के पूर्व अपने सेक्टर के टीम की भाग लेने की सूचना आयोजक महाविद्यालय को स्पष्ट करे ताकि जुड़नार सहभागी संख्या को ध्यान में रखकर बनाया जा सके।

### जुड़नार -

सेक्टर स्तर राज्य स्तर की प्रविष्टि के अंतिम तिथि के उपरान्त आयोजक संस्था आयोजन समिति की बैठक कर सम्बन्धित संस्थाओं को प्रतियोगिता आरंभ होने के पूर्व जुड़नार उपलब्ध करायेगा। इसी प्रकार राज्य स्तरीय अंतर परिक्षेत्र प्रतियोगिता में आयोजक महाविद्यालय अनिवार्य रूप से कम से कम 07 दिन पूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा संचालक, विश्वविद्यालय चयन समिति के सदस्य समस्त परिक्षेत्र के चिन्हित महाविद्यालय के प्राचार्यों एवं क्रीड़ा अधिकारियों को रजिस्टर्ड ए.डी./संदेश वाहक द्वारा उपलब्ध करायेगे।

- (क) प्रतियोगिता आयोजन समिति लाट के द्वारा जुड़नार का निर्धारण करेगी।
- (ख) जुड़नार में मैच का स्थान समय, एवं दिनांक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी दी जायेगी।
- (ग) जुड़नार में टीमों के ठहरने का स्थान आयोजक का फोन/मो.न./आयोजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं एवं आवश्यक जानकारी भाग लेने वाली टीमों को उपलब्ध कराई जाए।
- (घ) प्रतियोगिता में गत वर्ष के विजेता को जुड़नार में सबसे उपर एवं उपविजेता को सबसे नीचे स्थान दिया जाएगा। सेमीफाइनल खेलने वाले दलों को आश्यकतानुसार मध्य में स्थान दिया जायगा।

(ड) जुड़नार प्रसारित होने के पश्चात किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा।

सलेक्शन टायल - ऐसे महाविद्यालय जो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही वहां के ऐसे खिलाड़ी जो पूर्व वर्षों में राज्य या वि.वि. का प्रतिनिधित्व किया हो उन्हें सीधे सलेक्शन टायल में भाग लेने की पात्रता होगी किन्तु ऐसे खिलाड़ियों की संख्या व्यक्तिगत खेलों में 01 (एक) एवं समूह खेलों में अधिकतम 03 (तीन) से ज्यादा नहीं होगी।



## पात्रता नियम (Eligibility, Rule)

1. किसी भी विश्वविद्यालय या उससे सम्बंधित महाविद्यालय का नामांकित पूर्णकालिक स्थायी छात्र प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, कोर्स की अवधि कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए।
  - 1.1 पी.एच.डी. या एम फिल के छात्र भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं बशर्ते वह AIU के नियमों को पूर्ण करता हो।
2. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र/छात्रा के लिए आवश्यक है कि वि.वि./महाविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रथम प्रवेश तिथि से कुल 10 वर्षों तक खेलने की पात्रता रखता है।
  - 2.1. स्नातक स्तर पर पात्रता की गणना 12वीं उत्तीर्ण करने के वर्ष से की जायेगी
  - 2.2. 12वीं पास करने के पश्चात स्नातक स्तर के कोर्स में 5 वर्षों तक खेलने की पात्रता है।
  - 2.3. स्नातकोत्तर स्तर में खिलाड़ी 05 वर्षों तक खेल सकता है इन 05 वर्षों के काल खण्डों में पी. एच.डी एव एम.फिल के छात्र भी सम्मिलित हैं।
  - 2.4. स्नातक पाठ्यक्रम उसे माना जायगा जो 12वीं के पश्चात उस कोर्स में प्रवेश लेता है।
  - 2.5. विश्वविद्यालय के या महाविद्यालय के सारे व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो स्नातक के बाद किये जाते हैं जैसे एल.एल.बी., बी.एड, बी.पी.एड. इत्यादि इस पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर (पाठ्यक्रम जैसे एम.ए, एम.काम., एम.फिल, एम.पी.एड. इत्यादि से जोड़ा जाएगा)
3.
  - 1 खिलाड़ी भारतीय नागरिक हो।
  - 2 छात्र की उम्र 28 वर्ष से कम होना चाहिए अर्थात् 1 जुलाई को प्रतियोगिता आयोजित होने वाले सत्र में 28 वर्ष से का होना चाहिए। खिलाड़ी पूर्ण कालिक सेवारत न हो।
  3. खिलाड़ी एक शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक विश्वविद्यालय में भाग नहीं ले सकता।
  4. अस्थायी प्रवेश वाले छात्र/पूरक छात्र महाविद्यालय स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर के प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र हैं किन्तु 12वीं एवं स्नातक के अंतिम वर्ष में पूरक आने पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर खेलने की पात्रता नहीं होगी।
  5. खिलाड़ी यदि एक विश्वविद्यालय से यदि दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है तो वह छात्र तभी खेल सकता है जब पूर्णकालिक छात्र हो।
  6. यदि कोई छात्र गत वर्ष के कोर्स में कोई परिवर्तन कर नये कोर्स में प्रवेश लेता है तो उस छात्र के महाविद्यालय या विश्वविद्यालय खेलने पर गत वर्ष के कोर्स की भी गणना की जायगी।
  7. छात्र के पात्रता की गणना करते समय किसी भी सत्र की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि को शैक्षणिक वर्ष मानी जायगी।
  8. पूर्णकालिक एवं स्थायी नौकरी पेशा कर्मचारी को खेलने की पात्रता नहीं होगी।

9. यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एवं उक्त कैंप में भाग ले रहा हो, और वह छात्र सेक्टर या राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग न ले सका हो तो ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय को आवेदन देने पर उसे चयन स्पर्धा में सम्मिलित करने की अनुमति सक्षम अधिकारी संचालक द्वारा दी जा सकती है।

पात्रता नियम का किसी प्रकार उल्लंघन करने वाले दल एवं दल में सम्मिलित अपात्र खिलाड़ी को प्रतियोगिता वर्ष तथा उसी खेल की अगले वर्ष की प्रतियोगिता में भी भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जायगा एवं दल प्रबंधक/क्रीड़ा अधिकारी पर भी आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

### उच्च शिक्षा विभाग/राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों के लिए पात्रता नियम के लिये अन्य संशोधित रूप

1. केवल बोनाफाईड छात्र, जो किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में डिप्लोमा या डिग्री में नामांकित हुआ हो, जिसकी अवधि कम से कम एक अकादमिक वर्ष हो तथा जिसकी परीक्षा विश्वविद्यालय आयोजित करता हो, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में खेलने के लिए पात्र होगा तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है।
2. मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में खेलने के लिए पात्र नहीं होंगे।
3. विदेशी छात्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में खेलने के लिए पात्र होंगे। एक टीम में कुल विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 10 प्रतिशत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि छोटे टीम के लिए, यदि खिलाड़ियों की संख्या 10 से कम होते हैं तो एक विदेशी खिलाड़ी टीम का हिस्सा बन सकता है।
4. सभी पात्र छात्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में खेलने लिए पात्र होंगे यदि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं :-
  - (अ) वह एक जुलाई को उस अकादमिक वर्ष में 28 वर्ष से कम होना चाहिए। FISU नियम के अनुसार केवल बास्केटबॉल और फूटबॉल में अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी।
  - (ब) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में डिप्लोमा या डिग्री के प्रथम प्रवेश के पात्रता से दस वर्ष तक खेलने के लिए पात्र होंगे।
  - (स) छात्र के प्रतियोगिता में दस वर्ष की खेलने की पात्रता को निम्नलिखित तरिके से बाटा गया है :-
    - (i) 10+2 (हायर सेकेण्डरी) या संमकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद स्नातक/डिग्री पाठ्यक्रम में पांच वर्ष तक खेलने की पात्रता होगी। 5 वर्ष के दौरान छात्र एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में प्रवेश के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है।

- (ii) स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम / डिग्री में अध्ययन के दौरान 5 वर्ष तक खेलने की पात्रता होगी। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात 5 वर्ष के दौरान छात्र एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में प्रवेश के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है।
5. जो छात्र पूर्व रूप से सेवारत है वह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में खेलने के लिए पात्र नहीं होगा जबकि जो छात्र पब्लिक या प्रायवेट क्षेत्र से खेल छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं वे खेलने के लिए पात्र होगा।
6. एक अकादमिक वर्ष में छात्र एक से अधिक विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में भाग नहीं ले सकता है।

XXXXXXXXXX

## छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग

### खेलकूद प्रतियोगिता का व्ययभार विवरण

1. राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किये जाने वाला व्यय राज्य स्तरीय अन्तर परिक्षेत्र (इन्टर सेक्टर) सभी खेलों के प्रतियोगिताओं के आयोजन व्यय (उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सबसीडी) राशि रू. 2,30,000.00 (दो लाख तीस हजार रू. मात्र)
2. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा खेलकूद प्रमाण पत्र परिक्षेत्र स्तर एवं राज्य स्तर विजेता एवं उपविजेता तथा सहभागिता हेतु अनुमानित स्वीकृत प्रमाण पत्र छपाई—राशि रू. 50,000.00 (पचास हजार रू. मात्र)
3. परिक्षेत्र स्तरीय (सेक्टर स्तर) प्रतियोगिताओं में निम्नानुसार राशि सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किये जाने वाला व्यय राशि प्रत्येक सेक्टर को रू. 1,64,000.00 (एक लाख चौसठ हजार रू. मात्र) विभिन्न वि.वि. के अन्तरगत निम्नलिखित सेक्टर आते हैं, इनका भुगतान सम्बन्धित वि.वि. द्वारा किया जाता है।

1. रविशंकर वि.वि. के अन्तरगत 04 सेक्टर आते हैं।

(अ) रायपुर सेक्टर

(ब) दूर्ग सेक्टर

(स) राजनांदगांव सेक्टर

(द) महासमुंद व बलौदाबाजार सेक्टर

$$04 \times 1,64,000.00 = 6,56,000.00$$

2. सरगुजा वि.वि. के अन्तरगत 01 सेक्टर आते हैं

$$01 \times 1,64,000.00 = 1,64,000.00$$

3. बिलासपुर वि.वि. के अन्तरगत 03 सेक्टर आते हैं।

$$03 \times 1,64,000.00 = 4,92,000.00$$

4. बस्तर वि.वि. के अन्तरगत 01 सेक्टर आते हैं।

$$01 \times 1,64,000.00 = 1,64,000.00$$

कुल 09 सेक्टरों को विभिन्न वि.वि. द्वारा प्रदत्त सबसीडी

$$\text{राशि रू } 1,64,000 \times 09 = 14,76,000.00$$

(चौदह लाख छिहत्तर हजार रू. मात्र)

### प्रलेख (डाक्यूमेंट)

एलिजिबिलिटी में अंकसूची एवं प्रमाण पत्र, प्राचार्य, क्रीड़ा अधिकारी/क्रीड़ा प्रभारी के हस्ताक्षर सील सहित होना चाहिए। पात्रता प्रपत्र के साथ प्रवेश शुल्क की रसीद जमा करना अनिवार्य है।

स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात स्नातकोत्तर स्तर पर—5 वर्षों तक खेलने की पत्रता खिलाड़ी छात्र को होगी।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों का परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ द्वारा प्रसारित पात्रता प्रमाण-पत्र प्रारूप पर दल में शामिल खिलाड़ियों के विस्तृत विवरण महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी तथा प्राचार्य के हस्ताक्षर एवम् पदमुद्रा सहित प्रस्तुत किए जाएंगे।

महाविद्यालय/संस्था के प्राचार्य एवम् क्रीड़ा अधिकारी द्वारा परिशिष्ट क्र.-छ: में दिया गया प्रमाण-पत्र जिसमें छात्र के शुल्क संबंधी विवरण तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य या विवरण/यदि शुल्क मुक्त है तो उसका भी विवरण प्रस्तुत किया जावेगा।

### **पात्रता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति :-**

महाविद्यालय के प्राचार्य एवं क्रीड़ा अधिकारी का दायित्व होगा की महाविद्यालय दल में शामिल सभी खिलाड़ियों की पात्रता प्रमाण पत्र में जानकारी के समर्थन में दिए जाने वाले वांछित मूल प्रमाण पत्र छात्रों से लेकर ही पात्रता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही मूल प्रति के साथ प्राचार्य द्वारा सत्यापित एक-एक प्रति राज्य स्तरीय (अंतरपरिक्षेत्र) आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं आयोजन समिति के सचिव के समक्ष प्रस्तुत कि जायेगी।

यदि खिलाड़ी का चयन राज्य स्तरीय अंतर परिक्षेत्र प्रतियोगिता में परिक्षेत्र टीम में होता है। तो आयोजक महाविद्यालय द्वारा चार-चार प्रति में प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर तैयार कर राज्य स्तरीय आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य को दो-दो प्रति में सौंपेंगे।

### **महाविद्यालय से परिक्षेत्र स्तर पर (सेक्टर लेवल)**

पात्रता प्रमाण पत्र की दो प्रति प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें एक प्रति आयोजक महाविद्यालय अपने पास रखेगा। दूसरी प्रति को आयोजन सचिव के प्रतिवेदन के साथ सेक्टर के चिन्हित महाविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। (जिसे चिन्हित महाविद्यालय के प्राचार्य अगले वर्ष इसी विधा के आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य को चालु वर्ष के प्रतियोगिता के पात्रता प्रमाण पत्रों के प्रमाणिकरण हेतु भेजेंगे)

### **राज्य स्तरीय सेक्टर (अंतर परिक्षेत्र स्तर)**

परिक्षेत्र प्रतियोगिता के आयोजक महाविद्यालय के पास बचे पात्रता प्रमाण पत्र को राज्य स्तरीय अंतर परिक्षेत्र प्रतियोगिता के आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य के पास भेजेंगे एवं इसकी एक प्रति विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के संचालक के पास चयनित खिलाड़ी के प्रपत्र का निरिक्षण हेतु भेजा जाएगा।

### **हस्ताक्षर**

विभिन्न स्तर के प्रमाण पत्रों पर निम्नलिखित अधिकारियों के हस्ताक्षर ही मान्य होंगे। अन्तर महाविद्यालयीन परिक्षेत्र स्तर (सेक्टर लेवल) संबन्धित संस्था प्रमुख एवं क्रीड़ा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

### **राज्य स्तर**

राज्य स्तरीय इंटर सेक्टर प्रतियोगिता हेतु पात्रता प्रमाण पत्र पर आयोजक महाविद्यालय के सस्था प्रमुख एवं संगठन सचिव के हस्ताक्षर अभिप्रमाणित होनी चाहिए।

**टीप :-** यदि पात्रता प्रमाण पत्र में गलत जानकारी दी गई हो तो संबंधित खिलाड़ी के साथ-साथ पात्रता प्रमाण पत्र देने वालो के विरुद्ध भी कार्यवाही कि जायगी।



## व्यवस्थापन

### अ. आयोजक -

प्रत्येक आयोजक का दायित्व होगा कि इस मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही प्रतियोगिता का आयोजन हो।

### ब. ध्वज-

राज्य स्तरीय अंतर परिक्षेत्र प्रतियोगिता में प्रतियोगी दलों द्वारा ध्वज लेकर जाना आवश्यक है। विभिन्न परिक्षेत्रों के दलों हेतु निम्नानुसार रंग के ध्वज आबंटित किये गये हैं। ध्वज का कपड़ा साटन का होगा एवं लम्बाई 4 फूट, चौड़ाई 2 फूट '6 ईंच होगी।

सेक्टर का क्रमांक	ध्वज का रंग
1	मैरून
2	गुलाबी
3	पीला
4	भूरा
5	केसरीया
6	हरा
7	नीला
8	आसमानी
9	बैंगनी

### स. व्यवस्थापक

जब भी कोई दल किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जायेगा। तो उसके साथ व्यवस्थापक के रूप में किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। किसी भी स्तर की प्रतियोगिता में किसी भी स्थिति में दल को बिना व्यवस्थापक के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

- क. अंतर महाविद्यालय परिक्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यवस्थापक का मनोनयन संस्था प्रमुख के द्वारा किया जायेगा।
- ख. राज्य स्तरीय अंतर परिक्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता का दल व्यवस्थापक संस्था के शिक्षक अथवा क्रीड़ा अधिकारी से नीचे वर्ग के नहीं होंगे।

## द. प्रेक्षक-

प्रत्येक स्तर के सभी प्रतियोगिताओं में एक प्रेक्षक अनिवार्य रूप से नियुक्त होगा जो प्रतियोगिता की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन करेगा। तथा प्रतियोगिता समाप्ति के सात दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर अपना प्रतिवेदन संक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

## अन्तर महाविद्यालयीन परिक्षेत्र स्तर -

इस स्तर की प्रतियोगिता में प्रेक्षक की नियुक्ति के लिए परिक्षेत्र के चिन्हित महाविद्यालय के प्राचार्य जुलाई माह की प्रथम बैठक में (सेक्टर लेबल प्रतियोगिता की रूप रेखा तैयार करने हेतु बुलाई जाती है) स्थल के निर्धारण के साथ ही विभिन्न विधाओं के प्रेक्षकों के नियुक्ति भी करेंगे। इसकी सूचना आयोजक महाविद्यालय को दी जाएगी।

## राज्य स्तर (अंतर परिक्षेत्र)

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रेक्षक की नियुक्ति प्रदेश के जानकार शिक्षक / क्रीड़ा अधिकारी की सूची में से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कि जावेगी।

**टीप :-** अंतर महाविद्यालयीन सेक्टर लेबल एवं इंटर सेक्टर लेबल प्रतियोगिताओं के प्रेक्षकों को उनके यात्रा भत्ता का भूगतान राज्य शासन यात्रा भत्ता नियमानुसार किया जायेगा।

## क. प्रतिवाद

मैच में निर्णायक द्वारा दिये गये निर्णय के नियम के बिन्दू पर आपत्ति अथवा किसी अन्य प्रकार की आपत्ति जो प्रतियोगिता से संबन्धित हो, मैच समाप्त होने के दो घंटे के अंदर लिखित रूप में 500 रु. (पाँच सौ रूपये) मात्र शुल्क के साथ आयोजन सचिव के पास पहुंचना चाहिए। यदि आपत्ति रद्द कर दी जाती है तो आपत्ति शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, तथा राशि आयोजन मद में जमा हो जायेगा। प्रतिवाद के निर्णय के लिए आयोजन समिति द्वारा गठित प्रतिवाद समिति (प्रोटेस्ट कमेटी) का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

यदि कोई भी दल मैच खेलते समय प्रतिवाद के तहत मैच / मैदान छोड़ता है, तथा मैच पूरा नहीं करता तो वह दल मैच में हारा हुआ माना जायेगा एवं प्रतिवाद देने का उसका अधिकार भी समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार किसी भी घटना का विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर आयोजन सचिव व संक्षम अधिकारी को भेजेंगे संक्षम अधिकारी से तात्पर्य है—सेक्टर स्तर के आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पर उपसचिव उच्च शिक्षा में से है।

## ख. मैच में रूकावट

यदि मैच के दौरान उत्पन्न व्यवधानों तथा—दर्शकों की भीड़ का मैदान में घुस आना, प्रतियोगिता दल के किसी सदस्य द्वारा अनुशासनहीनता का कार्य करने आदि के कारण या अन्य कारणों से मैच में रूकावट

आती है तो वह मैच जब दुबारा शुरू किया जायगा तो उसी स्कोर/समय से शुरू किया जायगा। जहाँ से मैच में व्यवधान उत्पन्न हुआ था।

क्रिकेट सहित वे खेल जो निश्चित अंको के लिए खेले जाते हैं। इन बाधाओं के बाद दोबारा प्रारम्भ किये जाने पर भी उसी बिन्दू (अंक) से प्रारम्भ किये जावेंगे। जहा से रूकावट उत्पन्न हुई थी।

#### ग. अनुशासनात्मक कार्यवाही -

प्रतियोगी दलो का कोई भी सदस्य चाहे वह प्रतियोगी दल का अधिकारी ही क्यों न हो किसी भी स्थिति में प्रतियोगिता अथवा मैच के आयेजन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसे मैच खिलवाने वाले निर्णायक तथा अन्य किसी भी आयोजक अधिकारियों में से किसी भी भी प्रकार की बहस करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मैच के मध्य में अम्पायर, निर्णायक, जज आदि द्वारा दिये गये। किसी भी निर्णय पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। तथापि दल/अधिकारी का अपनी आपत्ति लिखित रूप प्रस्तुत करने का अधिकार आपत्ति प्रकट करने के नियमों के अंतर्गत होगा।

उपयुक्त पैरा में दिये गये नियमों का किसी सहभागी दल/अधिकारी द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में उस दल/अधिकारी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। इस कार्यवाही के तहत उसे आयोजन समिति द्वारा प्रतियोगिता से वंचित किया जा सकता है, यह अवधि उसके द्वारा की गई अनुशासनहीनता के अनुसार 1 से 3 वर्ष तक की हो सकती है। उपयुक्त सम्पूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी (आयुक्त उच्च शिक्षा) को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जायेगा जिससे शासन भी इस प्रकार की अनुशासनहीनता करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही कर सके। इसी प्रकार यदि आयोजन में निष्पक्षता नहीं बरती जाती है अथवा अन्य गंभीर चूके हो जाती है, तो प्रभावित दल आयोजन के पश्चात आयुक्त उच्च शिक्षा को लिखित अभ्यावेदन की कार्यवाही नियमानुसार कर सकेंगे जिसे जांचकर उचित कार्यवाही की जा सके।

#### घ. अपील करने का अधिकार -

प्रतियोगिता में आयोजन समिति द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय आदि के विषय में यदि किसी दल/खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का असंतोष है, तो वह उस निर्णय के विरुद्ध प्रतियोगिता समाप्ति के तीन दिवस के भीतर तालिका में दर्शाये अधिकारी के माध्यम से निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत करेगा। तालिका में दर्शाये विभिन्न स्तर के निर्णयकर्ता सक्षम अधिकारी के निर्णय से भी यदि अपीलकर्ता संतुष्ट न हो तो वह आयुक्त उच्च शिक्षा को नम्रतापूर्वक अपनी अपील दे सकता है।

प्रतियोगिता स्तर	अपील जिनके माध्यम से की जावेगी	निर्णयकर्ता सक्षम अधिकारी
अंतर महाविद्यालयीन परिक्षेत्र (सेक्टर लेबल)	प्राचार्य, संबंधित दल	प्राचार्य चिन्हित महाविद्यालय परिक्षेत्र स्तर
राज्य स्तर	प्राचार्य आयोजक महा. अन्तर परिक्षेत्र स्तर	आयुक्त, उच्च शिक्षा

निर्णयकर्ता सक्षम अधिकारी की गई अपील पर निर्णय देने हेतु यदि आवश्यक समझे तो संबंधित खेल के विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं।

निर्णय हेतु अधिकृत अधिकारी (आयुक्त उच्च शिक्षा) द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होंगे। किन्तु अपील पर दिये गये निर्णय से प्रतियोगिताओं के परिणाम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। वरुण अगले वर्ष के आयोजनों में आयोजन समिति को सावधानी बरतनी होगी।

#### च. प्रतियोगिता से प्रविष्टी वापस लेना

परिक्षेत्र स्तर ( सेक्टर स्तर ) प्रतियोगिता में यदि कोई सहभागी दल प्रतियोगिता-जुड़नार के प्रसारित हो जाने के पश्चात अपने दल को अलग करना चाहता है। तो उसका यह दायित्व होगा। कि वह प्रतियोगिता के तीन दिवस पूर्व लिखित में सूचित करेगा।

यदि कोई दल उपयुक्त निर्धारित अवधि में अपना नाम वापस नहीं लेता है एवं प्रतियोगिता में अनुपस्थित रहता है तो उसे आयोजन समिति को होने वाली क्षति पूर्ति हेतु 1000 रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड के रूप में देना होगा। यह अर्थदण्ड न चुकाने की दशा में उसे आगामी वर्षों की प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित कर दिया जावेगा।

#### छ. प्रमाण पत्र-

1. विभिन्न स्तर पर दिये जाने वाले प्रमाण पत्र परिशिष्ट में दिये गये प्रारूप के अनुसार होंगे।
2. परिक्षेत्र स्तर एवं राज्य स्तरीय अंतर परिक्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। साथ ही भाग लेने वाले दल के सभी सदस्यों को सहभागिता के प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जायेंगे।

#### ज. चयन समिति-

1. परिक्षेत्र स्तर-सेक्टर लेबल-सत्र के प्रारम्भ में खेलकूद गतिविधियों की प्रथम बैठक में ही समस्त प्राचार्य अपने अपने महाविद्यालय के खेल विशेष के जानकार प्राध्यापक एवं क्रीड़ा अधिकारी के सूची उनकी विशेषता को दर्शाते हुए प्रपत्र उपलब्ध करायेंगे। आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य के पास उपलब्ध करायेंगे। ताकि चयनकर्ता की सूची बनाई जा सके।
2. राज्य स्तरीय अंतर परिक्षेत्र प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा चयनकर्ताओं की सूची से आयोजक महाविद्यालय को अवगत कराता है एवं चयनकर्ता दल प्रतियोगिता के दौरान उपस्थित होकर विश्वविद्यालय दल का गठन करता है समिति के सदस्यों का यात्रा एवं दैनिक भत्ते का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जावेगा।



## प्रतियोगिता आयोजन

समितियाँ -

संस्था स्तर -

संस्था स्तर की प्रतियोगिताओं की आयोजन के लिए प्राचार्य की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी। जिसमें संस्था के शिक्षक तथा कर्मचारी होंगे। इस समिति के सचिव क्रीड़ा अधिकारी होंगे।

### परिक्षेत्र स्तर सेक्टर लेवल

संस्था की परिक्षेत्र स्तर (सेक्टर) स्तरीय प्रतियोगिता आबंटित होते ही संस्था के प्रमुख द्वारा परिक्षेत्र (सेक्टर) में पदस्थ संबंधित खेल के जानकार प्राचार्य, शिक्षक तथा क्रीड़ा अधिकारियों की एक आयोजन समिति गठित की जाएगी जिसका स्वरूप इस प्रकार होगा।

1.	जिलाध्यक्ष	मुख्य संरक्षक
2.	पुलिस अधीक्षक	संरक्षक
3.	आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य	अध्यक्ष
4.	सेक्टर के तीन प्राचार्य (चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए)	सदस्य
5.	संबंधित खेल के जानकार तीन शिक्षक (चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए)	सदस्य
6.	सेक्टर के महाविद्यालय के तीन क्रीड़ा अधिकारी (चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए)	सदस्य
7.	आयोजक महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी	संगठन सचिव

### राज्य स्तर

राज्य स्तरीय आयोजन समिति का गठन आयोजन संस्था के प्रमुख द्वारा क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन में निम्नानुसार होगा।

1.	संभाग आयुक्त	मुख्य संरक्षक
2.	संभाग के डी. आई.जी.	संरक्षक
3.	अन्तर परिक्षेत्र आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य	अध्यक्ष
4.	विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा संचालक	उपाध्यक्ष
5.	क्षेत्र के अधिकतम 5 प्राचार्य	सदस्य

परिक्षेत्र स्तर सेक्टर लेबल

क्रं.	खेल विधा	रेफरी/अंपायर प्रदत्त राशि	लाइनमेन/टेबल आफिसर प्रदत्त राशि	कुल राशि
1	बैडमिन्टन (म/पु)	01 संख्या, 200 रु. प्रति मैच रु. 200.00	06 संख्या, 50 रु. प्रति मैच कुल 300.00 रु.	500 / -
2	बास्केटबाल	03 संख्या, 150 रु. प्रति मैच रु. 450.00	03 संख्या, 50 रु. प्रति मैच कुल 150.00 रु.	600 / -
3	शतरंज	02 संख्या, 400 रु. प्रति मैच रु. 800.00	02 प्रति दिवस संख्या, 200 रु. प्रति मैच कुल 200.00 रु.	1000 / -
4	क्रिकेट	02 संख्या, 250 रु. प्रति मैच रु. 500.00	02 संख्या, 100 रु. प्रति मैच कुल 200.00 रु.	700 / -
5	फुटबाल	03 संख्या, 200 रु. प्रति मैच रु. 600.00	02 संख्या, 100 रु. प्रति मैच कुल 200.00 रु.	800 / -
6	टेबल टेनिस	03 संख्या, 150 रु. प्रति मैच रु. 450.00	.....	450 / -
7	कबड्डी	03 संख्या, 150 रु. प्रति मैच रु. 450.00	03 संख्या, 50 रु. प्रति मैच कुल 150.00 रु.	600 / -
8	खो-खो	03 संख्या, 150 रु. प्रति मैच रु. 450.00	03 संख्या, 50 रु. प्रति मैच कुल 150.0 रु.	600 / -
9	व्हालीबाल	03 संख्या, 150 रु. प्रति मैच रु. 450.00	03 संख्या, 50 रु. प्रति मैच कुल 150.00 रु.	600 / -
10	हैन्डबाल	03 संख्या, 150 रु. प्रति मैच रु. 450.00	03 संख्या, 50 रु. प्रति मैच कुल 150.00 रु.	600 / -
11	एथेलेटिक्स	20 संख्या, 200 रु. प्रति मैच रु. 2000.00	सम्भावित राशि तीन दिवस	6000 / -

मुख्यालय में उपलब्ध निर्णायको में से ही यथासंभव निर्णायको की व्यवस्था कि जावेगी। परन्तु किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि सेक्टर/राज्य स्तरीय (इंटर सेक्टर) पर आयोजन समिति निर्णायको को मुख्यालय से बाहर से आमंत्रित करती है। तो उन्हे दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता आदि की पात्रता व्यवस्थापक/व्यवस्थापक सह प्रशिक्षको के नियमानुसार होगी।

**टीप :-** बाहर से आये निर्णायको को उपयुक्त पात्रता उसी स्थिति में होगी जब आयोजक उन्हें आमंत्रित करने के पूर्व सक्षम अधिकारी से उन्हें आमंत्रित करने का औचित्य बतलाते हुऐ अनुमति प्राप्त कर लेंगे ।

### **गणवेश**

सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले महाविद्यालयो द्वारा दल के खिलाड़ियो को गणवेश महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा । साथ-साथ ही सीधे चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियो को संबंधित महाविद्यालय गणवेश अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा ।

### **राज्य स्तरीय आयोजन व्यय**

राज्य स्तरीय (इंटर सेक्टर) प्रतियोगिताओ के विभिन्न खेलो में संबंधित आयोजक महाविद्यालय द्वारा आयोजन खर्च उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सबसीडी राशि द्वारा वहन किया जाएगा । राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी खिलाड़ियों को संबंधित आयोजक महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त राशि के अनुरूप उच्च गुणवक्ता (क्वालिटी) का गणवेश खिलाड़ियों को प्रदान किया जावेगा ।

### **वित्त समायोजन**

शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही सबसीडी राशि को महाविद्यालय अपने पीडी खाता में जमा करेगे तथा आयोजन पर होने वाले व्यय के लेखा का संधारण स्वयं करेगे । दी गई सबसीडी राशि से अव्ययीत राशि बचती है । तो इस राशि को महाविद्यालय के खेल के विकास में व्यय किया जाएगा । सबसीडी राशि के अतिरिक्त आयोजन पर होने वाले व्यय का भार महाविद्यालय वहन करेगा । शासन / विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सबसीडी राशि का उपयोग प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय को दिया जाएगा । प्रतियोगिता आयोजन के पूर्व अग्रिम राशि क्रीड़ाधिकारी / क्रीड़ाप्रभारी को प्रदाय किया जावेगा ।

### **वित्त आबंटन**

विभिन्न स्तर के आयोजक महाविद्यालय की सूची सेक्टर स्तर के आयोजक महाविद्यालय द्वारा सेक्टर से संबंधित विश्वविद्यालयो तथा राज्य स्तर प्रतियोगिता के आयोजक महाविद्यालय की सूची राज्य स्तर प्रतियोगिता के संचालन समिति द्वारा कार्यालय आयुक्त को उपलब्ध करायी जाएगी । कार्यालय आयुक्त द्वारा आयोजक महाविद्यालय को सबसीडी राशि / शासकीय राशि का सीधा आबंटन किया जायगा, तथा आयोजन अशासकीय महाविद्यालय को सबसीडी राशि चिन्हित महाविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जायेगी ।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के लिये स्थल का निर्धारण किया गया । स्थल निर्धारण का पत्र संलग्न है ।

भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ (A.I.U.) द्वारा घोषित कैलेण्डर के अनुसार राज्य का खेल कैलेण्डर का अनुमोदन ।

अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ (A.I.U.) द्वारा घोषित कैलेण्डर के अनुसार सेक्टर एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तिथियां निर्धारित की जायेगी।

सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिता में निम्नानुसार सब्सिडी राशि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय की जायेगी।

क्रं.	खेल का नाम	स्वीकृत देय सब्सिड राशि	
		पुरुष	महिला
1	क्रिकेट	20,000 / -	-----
2	एथलेटिक्स	12,000 / -	12,000 / -
3	फुटबाल	8,000 / -	-----
4	बैडमिंटन	8,000 / -	8,000 / -
5	टेबिल टेनिस	6,000 / -	6,000 / -
6	व्हाली बॉल	6,000 / -	6,000 / -
7	कबड्डी	6,000 / -	6,000 / -
8	खो-खो	6,000 / -	6,000 / -
9	शतरंज	6,000 / -	6,000 / -
10	बास्केट बॉल	6,000 / -	6,000 / -
11	हैडबाल	6,000 / -	6,000 / -
12	लान टेनिस	6,000 / -	6,000 / -
<b>योग</b>		<b>96,000/-</b>	<b>68,000/-</b>

प्रत्येक सत्र में कुल रु. 1,64,000 / - रु एक लाख चौसठ हजार रुपये अपने वाले प्रत्येक सेक्टर को उपरोक्त दरों से प्रदान किया जायेगा।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन व्यय के लिये सब्सिडी रु. 2,30,000/- की स्वीकृति प्रस्तावित है :- राशि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदाय की जायेगी।

क्रं.	खेल का नाम	स्वीकृत देय सब्सिड राशि	
		पुरुष	महिला
1	क्रिकेट	30,000 / -	-----
2	एथलेटिक्स	20,000 / -	20,000 / -
3	फुटबाल	12,000 / -	-----
4	बैडमिंटन	8,000 / -	8,000 / -
5	टेबिल टेनिस	6,000 / -	6,000 / -
6	व्हाली बॉल	12,000 / -	12,000 / -
7	कबड्डी	8,000 / -	8,000 / -
8	खो-खो	8,000 / -	8,000 / -

9	शतरंज	6,000 / -	6,000 / -
10	बास्केट बॉल	8,000 / -	8,000 / -
11	हैडबाल	12,000 / -	12,000 / -
12	लान टेनिस	6,000 / -	6,000 / -
<b>योग</b>		<b>1,36,000/-</b>	<b>94,000/-</b>

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन व्यय के लिये सब्सिडी रु. 2,30,000 / - की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदाय की जायेगी।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु 22 खेलों में विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों प्रतीक चिन्ह (मोमेन्टा) प्रदान हेतु रु. 44,000 / - की राशि हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

अर्न्तमहाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को महंगाई को ध्यान में रखत हुए दैनिक भत्ता रु. 75 / - से बढ़ाकर रु. 100 / - एवं राज्य स्तर पर रु. 200 / - प्रतिदिन किया जावे। दल के साथ जाने वाले प्रबंधक, प्रशिक्षक एवं पर्यवेक्षक को दैनिक भत्ता रु. 250 / - प्रतिदिन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

### प्रलेख (डाक्यूमेंट)

एलिजिबिलिटी मे अंकसूची एवं प्रमाण पत्र प्राचार्य, क्रीड़ा अधिकारी / क्रीड़ा प्रभारी के हस्ताक्षर सील सहित होना चाहिए। पात्रता प्रपत्र के साथ प्रवेश शुल्क की रसीद जमा करना अनिवार्य है।

स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात स्नातकोत्तर स्तर पर 5 वर्षों तक खेलने की पात्रता खिलाड़ी छात्र को होगी।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों का परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीय खेल संघ द्वारा प्रसारित पात्रता प्रमाण-पत्र प्रारूप पर दल में शामिल खिलाड़ियों के विस्तृत विवरण महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी तथा प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित प्रस्तुत किए जाएंगे।



## खिलाड़ियों की संख्या

विभिन्न खेल विधाओ में खिलाड़ियों की संख्या तालिका में दर्शाये गये अनुसार होगी

क्रं.	खेल विधा	खिलाड़ियों की संख्या (पुरुष)	खिलाड़ियों की संख्या (महिला)
1	क्रिकेट	16	
2	फुटबाल	20	
3	बैडमिन्टन	06	4
4	बास्केटबाल	12	12
5	शतरंज	05	4
6	टेबल टेनिस	05	4
7	कबड्डी	12	12
8	खो-खो	12	12
9	व्हालीबाल	12	12
10	हैन्डबाल	16	16
11	एथलेटिक्स	15	15
12	लॉन टेनिस	4	4

परिशिष्ट-एक

### उच्च-शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

आयोजित होने वाले खेलों की सूची

क्रं.	खेल	श्रेणी	
		पुरुष	महिला
1.	फुटबाल	—	
2.	क्रिकेट	—	
3.	बैडमिन्टन	—	महिला
4.	व्हालीबाल	—	महिला
5.	कबड्डी	—	महिला
6.	खो-खो	—	महिला
7.	बास्केटबाल	—	महिला
8.	टेबल टेनिस	—	महिला
9.	शतरंज	—	महिला
10.	एथलेटिक्स	—	महिला
11.	हैन्डबाल	—	महिला
12.	लॉन टेनिस	—	महिला

प्रतियोगिता आयोजन के लिये प्रस्ताव

1. संस्था का नाम .....  
जिला..... मुख्यालय.....
2. जिला स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं, उसका उल्लेख
3. खेल का नाम
4. प्रतियोगिता में उपयोग किये जाने वाल उपलब्ध मैदान / कोर्ट / उपकरण की स्थिति
5. सहभागियों के आवास की व्यवस्था
6. भोजन व्यवस्था (आवास के निकट होना चाहिए )
7. क्या प्रतियोगिता हेतु स्तरीय निर्णायक उपलब्ध हैं, यदि हां तो उनका उल्लेख अन्य

संस्था /  
व्यवस्था  
दल नाय  
कुल प्रति

प्रतियोगिता  
100 मीटर  
200 मीटर  
400 मीटर  
800 मीटर  
1500 मीटर  
5000 मीटर  
10000 मीटर

20 कि.मी. पै  
110 मीटर  
400 मीटर  
20 कि.मी. पै  
लब्बी कूद  
ऊंची कूद  
तिकड़ी कूद  
चक्का फेंक  
हेमर फेंक  
गोला फेंक  
भाला फेंक  
4 x 100 मीटर  
4 x 400 मीटर

हस्ताक्षर एवं मदमुद्रा  
क्रीड़ा अधिकारी

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
संस्था प्रमुख

# एथलेटिक्स प्रतियोगिता विस्तृत प्रविष्टि प्रपत्र

परिशिष्ट-तीन

संस्था / जिला / संभाग का ना

व्यवस्थापक का नाम

दल नायक का नाम

कुल प्रतियोगी संख्या

प्रतियोगिता

पुरुश वर्ग

प्रथम

द्वितीय

अतिरिक्त

100 मीटर

200 मीटर

400 मीटर

800 मीटर

1500 मीटर

5000 मीटर

10000 मीटर

20 कि.मी. पैदल चाल

110 मीटर हर्डल्स

400 मीटर हर्डल्स

20 कि.मी. रोड रेस

लम्बी कूद

ऊंची कूद

तिकड़ी कूद

चक्का फेंक

हेमर फेंक

गोला फेंक

भाला फेंक

4 x 100 मीटर रिले

4 x 400 मीटर रिले

महिला वर्ग

प्रतियोगिता	प्रथम	द्वितीय	अतिरिक्त
100 मीटर	.....	.....	.....
200 मीटर	.....	.....	.....
400 मीटर	.....	.....	.....
800 मीटर	.....	.....	.....
1500 मीटर	.....	.....	.....
5000 मीटर	.....	.....	.....
30,000 मीटर	.....	.....	.....
100 मीटर हर्डल्स	.....	.....	.....
100 मीटर हर्डल्स	.....	.....	.....
400 मीटर हर्डल्स	.....	.....	.....
लब्बी कूद	.....	.....	.....
ऊंची कूद	.....	.....	.....
चक्का फेंक	.....	.....	.....
भाला फेंक	.....	.....	.....
गोला फेंक	.....	.....	.....
4 x 100 मीटर रिले	.....	.....	.....
4 x 400 मीटर रिले	.....	.....	.....
हेमर थ्रो	.....	.....	.....

क्रीडा अधिकारी

सक्षम अधिकारी/संस्था प्रमुख

हस्ताक्षर एवं मदमुद्रा

हस्ताक्षर एवं मदमुद्रा

## जुड़नार डालने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रादर्श

- (क) समस्त प्रविष्टियों में से विगत प्रतियोगिता के विजेता, उप-विजेता तथा सेमीफायनल वाले दलों को निकाल लेना चाहिए।
- (ख) शेष प्रविष्टियों के लिए उनकी संख्या के बराबर क्रम संख्या लिखें।
- (ग) उपर्युक्त ख के अनुक्रम में शेष प्रविष्टियों के आधार पर "बाई" की गणना करें।
- (घ) "बाई" को देने का क्रम इस प्रकार होगा— सर्वप्रथम विजेता, द्वितीय उप-विजेता, तृतीय बाई विजेता से सेमीफायनल हारने वाला, चतुर्थ बाई उप विजेता से सेमीफायनल हारने वाले दल। यदि फिर भी बाई शेष रह जाता है, तो उसे रखने के लिए क्रम प्रारूप में दिया है।
- (च) जुड़नार में विगत प्रतियोगिता का विजेता सबसे नीचे, उपविजेता सबसे ऊपर होगा। विगत प्रतियोगिता के सेमीफायनल खेलने वाले दलों को ऐसे रखा जावेगा कि उनकी स्थिति विगत वर्ष से क्रॉस हो, अर्थात् विगत वर्ष की प्रतियोगिता में उसके विजेता से सेमीफायनल खेलने वाला दल इस वर्ष विजेता के अर्ध में तथा उप विजेता से सेमी-फायनल खेलने वाला दल इस वर्ष विजेता के अर्ध में होगा।

### नाक-आउट जुड़नार के प्रारूप

उपयोग किये गये संक्षिप्त शब्द:

बि	—	विजेता
उ.वि.	—	उप विजेता
वि.से.फा.	—	विगत वर्ष सेमीफायनल हारने वाला।

“बाई” प्राप्त करने वाले दल निम्नलिखित स्थानों पर रखे जायेंगे

05 दल होने परे	—	3 बाई
06 दल होने परे	—	2 बाई
07 दल होने परे	—	1 बाई
08 दल होने परे	—	कोई बाई नहीं
09 दल होने परे	—	7 बाई
10 दल होने परे	—	6 बाई
11 दल होने परे	—	5 बाई

12 दल होने पर	—	4 बाई
13 दल होने पर	—	3 बाई
14 दल होने पर	—	2 बाई
15 दल होने पर	—	1 बाई
16 दल होने पर	—	कोई बाई नहीं
17 दल होने पर	—	15 बाई
18 दल होने पर	—	14 बाई
19 दल होने पर	—	13 बाई
20 दल होने पर	—	12 बाई
21 दल होने पर	—	11 बाई
22 दल होने पर	—	10 बाई
23 दल होने पर	—	9 बाई
24 दल होने पर	—	8 बाई
25 दल होने पर	—	7 बाई
26 दल होने पर	—	6 बाई
27 दल होने पर	—	5 बाई
28 दल होने पर	—	4 बाई
29 दल होने पर	—	3 बाई
30 दल होने पर	—	2 बाई
31 दल होने पर	—	1 बाई

इससे अधिक दल होने पर इसी तरीके से जुड़नार बनाए जा सकते हैं।

**विशेष टिप्पणी :**

1. इस प्रतियोगिता में केवल उन्हीं महाविद्यालयों को भाग लेने की अनुमति दी जावेगी, जिन्होंने नियमानुसार इस योग्यता प्रमाण पत्र की वांछित प्रतियां पूर्ण वांछित जानकारी के साथ निर्धारित अवधि में संगठन सचिव को प्रस्तुत कर दी हो। किसी दल को प्रतियोगिता में सम्मिलित करने से पूर्व संगठन सचिव सुनिश्चित करेंगे कि:
  - (1) पात्रता विवरण में किसी प्रकार की अनाधिकृत कांट-छांट (ओव्हर राईटिंग) नहीं है।
  - (2) दल के सदस्यों के परिचय पत्र पर खिलाड़ी का संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एवम् पदमुद्रा युक्त नवीनतम् छायाचित्र लगा हुआ है एवं उस पर अनाधिकृत कांट-छांट नहीं की गई है।
  - (3) संगठन सचिव द्वारा निम्नांकित जानकारी अनिवार्य रूप से दी जावे।
2. प्रतियोगिता समाप्ति के तुरन्त पश्चात् संगठन सचिव द्वारा इस प्रपत्र की वांछित प्रतियां समस्त जानकारी को पूर्ण करने के पश्चात् निर्देशित सक्षम अधिकारी को प्रेषित की जावेगी। सक्षम अधिकारी इस प्रपत्र की एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे एवम् दूसरी प्रति अगले वर्ष इसी प्रतियोगिता के संगठन सचिव को अग्रेषित करेंगे।
3. संगठन सचिव द्वारा निम्नांकित जानकारी अनिवार्य रूप से दी जावे।
  1. संगठन सचिव द्वारा इस प्रपत्र को प्राप्त करने की तिथि .....
  2. प्रतियोगिता में इस संस्था / जिला / सम्भाग के प्रथम मैच खेलने की तिथि .....
  4. प्रतियोगिता में किसी दल को प्रवेश देने से पूर्व संगठन सचिव निम्नलिखित प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्रपत्र पर दर्शायी गई दल के सदस्यों की पात्रता संबंधी समस्त जानकारी की जांच कर ली है एवम् उन्हें प्रतियोगिता के योग्य पाया है।”

दिनांक .....

हस्ताक्षर-संगठन सचिव .....

परिशिष्ट-छ:

महाविद्यालय का नाम .....

संस्था के समस्त शुल्क जमा करने तथा छात्र के वर्ग  
(अ.जा./अनु.ज.जा./सामान्य) का प्रमाणीकरण

क्रं.	खिलाड़ी का नाम	कक्षा	वर्ग (अ.जा. अनु.ज.जा./ सामान्य)	शुल्क रसीद		अन्य
				क्रमांक	दिनांक	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

उपर्युक्त समस्त जानकारी संस्था के अभिलेखों एवम् ज्ञान के अनुसार प्रमाणित की जाती है।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
क्रीड़ा अधिकारी/शिक्षक

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
संस्था प्रमुख

दल व्यव

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

अ.

ब.

स.

द.

12.

13.

## दल व्यवस्थापक का प्रतिवेदन

1. व्यवस्थापक का नाम .....
2. पद तथा पता .....
3. खेल .....
4. प्रतियोगिता आयोजन स्थल .....
5. प्रतियोगिता प्रारंभ की तिथि .....
6. निम्नलिखित खिलाड़ियों ने दल का प्रतिनिधित्व किया (खिलाड़ियों के नाम गुणानुक्रम में दे तथा उनकी स्थिति को दर्शायें) स्तर ..... वर्ष .....

क्र.	खिलाड़ी का नाम	संस्था का नाम	स्थिति (पोजीशन)	क्या प्रतियोगिता में वास्तविक सहभागिता है.
1.				
2.				
3.				
4.				

7. श्री.....संस्था.....
- को दल नायक नियुक्त किया गया था।
8. छल नायक के नेतृत्व के बारे में संक्षिप्त टीप। .....
9. टीम/खिलाड़ी के स्तर और अनुशासन के बारे में संक्षिप्त टीप। .....
10. प्रत्येक चक्र के परिणामों का विस्तृत विवरण। (टीम/खिलाड़ी)
11. आयोजक संस्था द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गयी थी।
- अ. रेल/बस स्टैण्ड परटीम को रिसीव किया गया/स्टैण्ड परटीम को रिसीव किया/नहीं किया गया।
- ब. टीम को ..... में ठहराया गया।
- स. खेल मैदान अन्य खेल सुविधाएं अच्छी/ठीक/खराब थी।
- द. बैठने की व्यवस्था अच्छी/ठीक/खराब थी।
12. प्रतियोगिता के दौरान प्रकाशित सोविनियर बुलेटिन, पेपर कटिंग आदि संलग्न/नहीं संलग्न।
13. प्रतियोगिता आयोजन का स्तर।

14. यदि कोई प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया हो तो उस पर संक्षिप्तह टीप।
15. मैं निम्नलिखित खिलाड़ियों के नाम खेल की वरीयता के आधार पर अनुशांसित करता हूँ।
- 1 ..... 2 .....
- 3..... 4.....
16. मैं दो प्रतियों में लेखा प्रस्तुत करता हूँ और रू. ....तथा  
आवश्यक देयक / रसीद विभिन्न मदवार प्रस्तुत करता हूँ।
17. दल लौटने के पश्चात् उपयोग में लाई गई / नहीं लाई गई सामग्री एक सप्ताह के भीतर खेल विभाग में जमा की जाये और उसकी रसीद प्राप्त की जावे।

हस्ताक्षर व्यवस्थापक

दिनांक

वर्ष .....  
परिशिष्ट-आठ

### उच्च-शिक्षा, छत्तीसगढ़ खेल व्यवस्था के लिए सेक्टर सूची

छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खेल प्रतियोगिताओ को नौ सेक्टरों में विभाजित किया गया है। यह नौ सेक्टर चार विश्वविद्यालयों में विभाक्त किया गया है

- (अ) रविशंकर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सेक्टरों की सूची (चिन्हित कालेजों)
- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. रायपुर सेक्टर  | शा. नार्गजुन विज्ञान स्ना. महाविद्यालय रायपुर |
| 2. दुर्ग सेक्टर   | शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग         |
| 3. राजनांदगाँव से | शा. दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगाँव          |
| 4. बलौदाबाजार से. | शा. स्नात्कोत्तर महाविद्यालय बलौदाबाजार       |
- (ब) बस्तर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सेक्टरों की सूची(चिन्हित कालेजों)
- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. जगदलपुर से. | शा. स्नात्कोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर |
|----------------|--------------------------------------|
- (स) बिलासपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सेक्टरों की सूची (चिन्हित कालेजों)
- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. बिलासपुर सेक्टर | शा. विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर |
| 2. कोरबा सेक्टर    | शा. स्ना. महा. कोरबा             |
| 3. रायगढ़ सेक्टर   | शा. किरोड़ीमल स्नातकोत्तर रायगढ़ |
- (द) सरगुजा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सेक्टरों की सूची (चिन्हित कालेजों)
- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. सरगुजा सेक्टर | शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर |
|------------------|--|

## विशेष नदश

प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात् निर्धारित अवधि में पूर्व  
में निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी के कार्यालय में पहुंचाएं  
अन्तर्महाविद्यालय सेक्टर / अन्तर परिक्षेत्र इंटरसेक्टर, राज्य स्तर प्रतियोगिता जो स्थान.....  
.....में दिनांक.....तक आयोजित हुई।

1. भाग लेने वाली संस्थाओं के नाम (अलग से संलग्न करें)
  2. उन संस्थाओं के नाम जिन्होंने प्रविष्टि के बाद भी भाग नहीं लिया।
  3. जुड़नार के प्रति संलग्न करें।
  4. जुड़नार के परिणाम संलग्न करें।
    1. प्रथम चक्र।
    2. द्वितीय चक्र।
    3. क्वार्टर फाइनल।
    4. सेमी फाइनल।
    5. फाइनल।
  5. आवास व्यवस्था संतोशंजनक / अच्छी / ठीक थी।
  6. आवास व्यवस्था प्रदालन की गई।
  7. जल व्यवस्था ठीक थी / ठीक नहीं थी।
  8. प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध थी / नहीं थी।
  9. खेल मैदानों की संख्या एवम् उनकी स्थिति।
  10. खेल नियमों का पालन किया गया / नहीं किया गया।
  11. प्रतिवाद, यदि कोई हुआ हो और उसका निर्णय।
  12. खेल के दौरान यदि अनुषासन भंग हुआ हो तो उसका विवरण तथा की गयी कार्यवाही पर टिप्पणी।
  13. बुलेटिन, पेपर कटिंग, सोविनियर संलग्न करें।
  14. अतिविशिष्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन संक्षिप्त टीप।
  15. क्या दल अगली प्रतियोगिता में भेजने योग्य है।
  16. सेमी-फाइनल / फाइनल के विजेता / उप विजेता तथा हारे हुए दलों के नाम।
- टीप: प्रेक्षक को प्रतियोगिता स्थल पर स्थितियों के जायजे के लिए एक दिन पूर्व पहुंचना दिन पूर्व पहुंचना चाहिए।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदमुद्रा .....

क्रमांक

परिशिष्ट-दस

छत्तीसगढ़ शासन उच्च-शिक्षा विभाग  
सेक्टर स्तर प्रतियोगिता  
सत्र -



प्रमाण-पत्र

श्री / श्रीमती / कु. .... को  
..... महाविद्यालय ..... को  
..... में ..... दल के सदस्य के रूप में यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

प्राचार्य  
चिन्हित महाविद्यालय

संगठन सचिव

प्राचार्य  
आयोजक महाविद्यालय

क्रमांक

छत्तीसगढ़ शासन उच्च-शिक्षा विभाग  
राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता  
सत्र -



प्रमाण-पत्र

श्री / कु. .... को  
..... महाविद्यालय ..... को  
..... में ..... दल के सदस्य रूप में यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग  
छत्तीसगढ़ शासन

संगठन सचिव

प्राचार्य  
आयोजक महाविद्यालय

छत्तीसगढ़ शासन उच्च-शिक्षा विभाग  
सेक्टर स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता  
सत्र -



प्रमाण-पत्र

श्री / कु. .... को ..... में  
महाविद्यालय ..... स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।  
इस प्रतियोगिता में इनका उच्चांक (रिकार्ड) ..... रहा।

प्राचार्य  
चिन्हित महाविद्यालय

संगठन सचिव

प्राचार्य  
आयोजक महाविद्यालय

क्रमांक

छत्तीसगढ़ शासन उच्च-शिक्षा विभाग  
राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता  
सत्र -



सहभागिता प्रमाण-पत्र

श्री / श्रीमती / कु. .... को ..... में  
महाविद्यालय ..... भाग लेने के उपलक्ष्य में यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन

संगठन सचिव

प्राचार्य  
आयोजक महाविद्यालय

क्रमांक

छत्तीसगढ़ शासन उच्च-शिक्षा विभाग  
राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता  
सत्र -



प्रमाण-पत्र

श्री / कु. ....  
महाविद्यालय ..... को .....  
में ..... स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता  
है। इस प्रतियोगिता में इनका उच्चांक (रिकार्ड) ..... रहा।

अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग  
छत्तीसगढ़ शासन

संगठन सचिव

प्राचार्य  
आयोजक महाविद्यालय

क्रमांक

छत्तीसगढ़ शासन उच्च-शिक्षा विभाग  
राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता  
सत्र -



सहभागिता प्रमाण-पत्र

श्री / कु. ....  
महाविद्यालय ..... को .....  
में ..... स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता  
है। इस प्रतियोगिता में इनका उच्चांक (रिकार्ड) ..... रहा।

अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग  
छत्तीसगढ़ शासन

संगठन सचिव

प्राचार्य  
आयोजक महाविद्यालय

## आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर (छ.ग.)

आयोजन तिथि ..... वर्ष .....  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 अंतर्महाविद्यालय, परिक्षेत्र, राज्य, खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु पात्रता प्रस्तुति प्रपत्र  
 सहभागी संस्था का नाम ..... आयोजक संस्था का नाम .....  
 प्रतियोगिता का नाम एवं स्तर ..... वर्ग-महिला / पुरुष  
 व्यवस्थापक का नाम ..... पद ..... व्यवस्थापक की संस्था .....  
 प्रशिक्षक का नाम ..... पद ..... प्रशिक्षक की संस्था .....

खिलाड़ी का नाम एवं पिता का नाम	खिलाड़ी का हस्ताक्षर	2.5 x 2.5 cm टिकिट साईज/पासपोर्ट	वर्ग अजा., अजजा, सामान्य	वर्तमान पाठ्यक्रम का नाम एवं अवधी	वर्ग अजा., अजजा, सामान्य	गतवर्ष परीक्षा का नाम एवं अनुक्रमांक	वर्तमान कक्षा एवं स्पीड क्र. एवं तिथि	परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि एवं वर्ष		वर्तमान कक्षा एवं स्पीड क्र. एवं तिथि	गतवर्ष परीक्षा का नाम एवं अनुक्रमांक	वर्तमान पाठ्यक्रम का नाम एवं अवधी	वर्ग अजा., अजजा, सामान्य	2.5 x 2.5 cm टिकिट साईज/पासपोर्ट	खिलाड़ी का हस्ताक्षर
								10+2	स्नातक						
1.		<input type="checkbox"/>													
2.		<input type="checkbox"/>													
3.		<input type="checkbox"/>													
4.		<input type="checkbox"/>													
5.		<input type="checkbox"/>													
6.		<input type="checkbox"/>													

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम एवं पिता का नाम	अभिनेता का नाम	खिलाड़ी का नाम	परीक्षा तिथि एवं वर्ष	परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि एवं वर्ष		वर्तमान कक्षा एवं स्सीद क्र. एवं तिथि	गतवर्ष परीक्षा का नाम एवं अनुक्रमांक	वर्तमान पाठ्यक्रम का नाम एवं अवधी	वर्ग अजा., अजजा, सामान्य	2.5 x 2.5 cm टिकिट साईज/पासपोर्ट	खिलाड़ी का हस्ताक्षर
					10+2	स्नातक						
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												

1. प्रमाणित किया जाता है कि संस्था में प्राप्त अभिलेखों के आधार पर दि गई उपयुक्त जानकारी सत्य है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक 1 से ..... तक के खिलाड़ी कहीं भी पूर्ण कालिक सेवा में नहीं है।

दिनांक ..... संस्था की सील ..... हस्ताक्षर एवं सील क्रीड़ा अधिकारी .....

हस्ताक्षर एवं सील प्राचार्य .....

## राज्य में संचालित 214 शासकीय महाविद्यालयों की सूची

क्रं.	महाविद्यालय का नाम	वि. खण्ड	दूरभाष	ई-मेल	क्षेत्र
<b>जिला-रायपुर</b>					
1	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	धरसीवा	0771-2263131	principal.npgcsr@gmail.com	सामान्य
2	शासकीय दूधाधारी श्री वैष्णव स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर	धरसीवा	0771-2253886	govt.dsrnvpgscollege7@gmail.com	सामान्य
3	शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर	धरसीवा	0771-2229248	dbgirls@yahoo.co.in	सामान्य
4	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर	धरसीवा	07721-268378	gcollegedharsiwa@ymail.com	सामान्य
5	शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	धरसीवा	0771-2427126	giycg.college@gmail.com	सामान्य
6	शासकीय डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	धरसीवा	0771-2546398	drbgnkm1986@gmail.com	सामान्य
7	शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर रायपुर	धरसीवा	0771-2582274	artcommerce.college@gmail.com	सामान्य
8	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	अभनपुर	0771-2101816	gkhc.abhanpur@gmail.com	सामान्य
9	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा	अभनपुर	0771-2101816	govt.gnr.college@gmail.com	सामान्य
10	शासकीय बद्री प्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग	आरंग	07720-258423	gbpca@gmail.com	सामान्य
11	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय, तिल्दा नेवरा (कोहका)	तिल्दा	07721-233939	gdc.kohka@omgmail.com	सामान्य
12	शासकीय मॉडल डिग्री महाविद्यालय, रायपुर*	धरसीवा	0771-2263131	principal.npgcsr@gmail.com	सामान्य
<b>जिला-बलौदाबाजार</b>					
13	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	07727-222549	dk_collegebaloda@rediffmail.com	सामान्य
14	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	07727-223074	mmgirlsbb@yahoo.com	सामान्य
15	शासकीय गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय, भाटापारा	भाटापारा	07726-220312	govt.gnappgcollege@gmail.com	सामान्य
16	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	सिमगा	0772-6-274255	rg.govtcollege.simga@gmail.com	सामान्य
17	शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	पलारी	07727-201324	govt.blvcollegepallari@gmail.com	सामान्य
18	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव	बिलाईगढ़	07727-223074	collegebilaigarh@gmail.com	सामान्य
19	शासकीय शहीद वीरनारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	07729-231581	collegebilaigarh@gmail.com	सामान्य
20	शासकीय स्व. दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल	कसडोल	07728-251241	govt.collegekasdol@yahoo.in	सामान्य
21	शासकीय महाविद्यालय, लवन	बलौदाबाजार	07727-276281	lawancollege_2009@rediffmail.com	सामान्य
22	शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा	भाटापारा	9406095245	principalgovtlawcollege@gmail.com	सामान्य

क्रं.	महाविद्यालय का नाम	वि. खण्ड	दूरभाष	ई-मेल	क्षेत्र
<b>जिला-गरियाबंद</b>					
23	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	गरियाबंद	07706-241380	govtcollege_gariaband@hotmail.com	अ.ज.जा.
24	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	फिंगेश्वर	07701-202513	govtricollegerajim@gmail.com	सामान्य
25	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा	छुरा	07701-210084	govt.collegechhura@yahoo.in	अ.ज.जा.
26	शासकीय पं. श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग	देवभोग	07489098680 07704-292229	govtcollege.deobhog@yahoo.com	अ.ज.जा.
27	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मैनपुर	मैनपुर	07706-241380 07587078849	govtcollege_gariaband@hotmail.com	अ.ज.जा.
28	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फिंगेश्वर	फिंगेश्वर	07747-986169	govtcollegefingeshwar2013@gmail.com	सामान्य
<b>जिला-महासमुन्द</b>					
29	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-222048	pgcollegemahasamund@gmail.com	सामान्य
30	शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद महाविद्यालय, बागबाहरा	बागबाहरा	07707-207388	gcollege@gmail.com	सामान्य
31	शासकीय स्व. राजा विरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सरायपाली	सरायपाली	07725-226368	govtcollegesaraipali1971@gmail.com	सामान्य
32	शासकीय स्व. श्री जयदेव सतपथी महाविद्यालय, बसना	बसना	07724-246722	govtcollege.basana@gmail.com	सामान्य
33	शासकीय चन्द्रपाल महाविद्यालय, पिथौरा	पिथौरा	07707-271417	govtcollege.pithora@gmail.com	सामान्य
34	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-204868	govtmatakarnmagirlscollege@gmail.com	सामान्य
35	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलौदा	सरायपाली	07725-226368	govtcollegesaraipali1971@gmail.com	सामान्य
<b>जिला-धमतरी</b>					
36	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	धमतरी	07722-237933	pgcollege.dhamtari@gmail.com	सामान्य
37	शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी	धमतरी	07722-23647	girlscollegedhamtari@yahoo.com	सामान्य
38	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद	कुरुद	07705-223375	pgcollegekuruddl.com@gmail.com	सामान्य
39	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी	नगरी सिहावा	07700-251218	gcnagri@gmail.com	अ.ज.जा.
40	शासकीय महाविद्यालय, भखारा	कुरुद	07705-286433	gcbhakhara@yahoo.com	सामान्य
41	शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड	मगरलोड	07705-265272	gcmagarlod@gmail.com	सामान्य
<b>जिला-दुर्ग</b>					
42	शासकीय विश्वनाथ यादव तामरकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	दुर्ग	0788-2211688	pprinci2010@gmail.com	सामान्य
43	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323773	govtgirlscollege@gmail.com	सामान्य
44	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई	दुर्ग	0788-2673756	gdtcollege@gmail.com	सामान्य

क्रं.	महाविद्यालय का नाम	वि. खण्ड	दूरभाष	ई-मेल	क्षेत्र
45	शासकीय स्व. चन्द्रूलाल चन्द्राकर महाविद्यालय, पाटन	पाटन	07826-273675	patancollege@gmail.com	सामान्य
46	शासकीय डॉ. खूबचन्द बघेल महाविद्यालय, भिलाई-3	दुर्ग	07826-255175	bhilai3_college@yahoo.in	सामान्य
47	शासकीय इंदिरागांधी महाविद्यालय, वैशालीनगर	दुर्ग	0788-2280806	govt.collegevaishalinagar@gmail.com	सामान्य
48	शासकीय महाविद्यालय, धमधा	धमधा	07821-292144	dhamdhacollege@yahoo.in	सामान्य
49	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जामगांव (आर)	पाटन	07826-246046	jamgaonrcollege@gmail.com	सामान्य
50	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी	दुर्ग	07821-252010	principalbori@gmail.com	सामान्य
51	शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदनीनगर, अहिवारा जिला-दुर्ग	धमधा		-	सामान्य
52	शासकीय महाविद्यालय, खुसीपार भिलाई दुर्ग	दुर्ग		-	सामान्य
53	शासकीय मॉडल डिग्री महाविद्यालय, दुर्ग*	दुर्ग	0788-2211688	pprinci2010@gmail.com	सामान्य
<b>जिला-बेमेतरा</b>					
54	शासकीय जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, बेमेतरा	बेमेतरा	07824-222269	pgcollegebemetara@rediffmail.com	सामान्य
55	शासकीय स्व. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा	साजा	9575738286	govtcollegesaja@gmail.com	सामान्य
56	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़	नवागढ़	07827-265540	govtkrdcollegenawagarh@gmail.com	सामान्य
57	शासकीय महाविद्यालय, थान खम्हरिया	साजा	07824-296026	thankhamariyal23@gmail.com	सामान्य
58	शासकीय महाविद्यालय, बेरला	बेरला	07825-297300	naveencollegeberla@gmail.com	सामान्य
59	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा	बेमेतरा	07824-222269	ggcbemetara@gmail.com	सामान्य
<b>जिला-बालोद</b>					
60	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	बालोद	07749-222076	govtcoll_balod@rediffmail.com	सामान्य
61	शासकीय एन.सी. जैन महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	डौंडी लोहारा	07748-286692	ncjcollege.2012@yahoo.in	सामान्य
62	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	गुण्डरदेही	0788-2622376	govtcollege.arjunda1988@gmail.com	सामान्य
63	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	0788-2628100	principalgovtkskollge@rediffmail.com	सामान्य
64	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डौंडी	डौंडी	07748-299178	kmcollege.doundi@yahoo.in	अ.ज.जा.
65	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडी लोहारा	डौंडी लोहारा	07745-264001	mpsc.mp.nic.in	सामान्य
66	शासकीय महाविद्यालय, गुरुर	गुरुर	07749-265461	gururgovernmentcollege@gmail.com	सामान्य
67	शासकीय महाविद्यालय, खेरथा	डौंडी लोहारा	07748-217128	govtcollegekhertha@gmail.com	सामान्य
68	शासकीय नवीन महाविद्यालय, अरमरीकला	गुरुर	9425211073	govtcollegeearm@gmail.com	सामान्य
69	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मंगचुवा	डौंडीलोहारा	9755633514	govcollegemangchuwawa@gmail.com	सामान्य
70	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेलौदी	गुण्डरदेही	9425211073	principalgovt.collegebeloudi@gmail.com	सामान्य

72	राजनांदगांव		07744-291599
73	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	राजनांदगांव	07744-288915
74	शासकीय रानी अवंती बाई महाविद्यालय, धुमका	राजनांदगांव	07823-233885
75	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	07747-248023,
76	शासकीय एल.सी.एस. महाविद्यालय, अम्बागढ़चौकी	अम्बागढ़ चौकी	07820-295501
77	शासकीय रानी रश्मिदेवी महाविद्यालय, खैरागढ़	खैरागढ़	07745-271882
78	शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव	डोंगरगांव	07743-204034
79	शासकीय वीरांगना अवंती बाई महाविद्यालय, छुईखदान	छुईखदान	07823-267211
80	शासकीय कुजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लालबहादुर नगर	डोंगरगांव	07823-212513
81	शासकीय महाविद्यालय, रामाटोला	डोंगरगढ़	07745-264273
82	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	छुरिया	07746-245470
83	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर	मानपुर	07743-204757
84	शासकीय स्व. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, गंडई	छुईखदान	07747-218926
85	शासकीय महाविद्यालय, मोहला	मोहला	7587158968
86	शासकीय नवीन महाविद्यालय, साल्हेवारा	छुईखदान	07744-225036
87	शासकीय मॉडल डिग्री महाविद्यालय, राजनांदगांव*	राजनांदगांव	
<b>जिला-कबीरधाम (कवर्धा)</b>			
88	शासकीय आचार्य पंथ श्री गंधमुनि नाम साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा	कवर्धा	07741-232496
89	शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा	सहसपुर लोहारा	07741-269654
90	शासकीय इंदिरागांधी महाविद्यालय, पंडरिया	पंडरिया	9406035998
91	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कबीरधाम	कवर्धा	07741-232054
92	शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोडला	बोडला	9685960071
93	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पाण्डातराई	पंडरिया	07741-232496
94	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिपरिया	कवर्धा	07741-266625



क्रं.	महाविद्यालय का नाम	वि. खण्ड	दूरभाष	ई-मेल	क्षेत्र
<b>जिला-सुकमा</b>					
117	शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय, सुकमा	सुकमा	07864-284341	collegesukma341@gmail.com	अ.ज.जा.
118	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कोन्टा	कोन्टा	07866-261652	collegেকonta2011@rediffmail.com	अ.ज.जा.
<b>जिला-बीजापुर</b>					
119	शासकीय शहीद वेकट राव महाविद्यालय, बीजापुर	बीजापुर	07853-220041	govt.s.v.r.college13@gmail.com	अ.ज.जा.
120	शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय, भोपालपटनम	भोपालपटनम	9425262853	immatiyara@gmail.com	अ.ज.जा.
121	शासकीय नवीन महाविद्यालय, भैरमगढ़	भैरमगढ़	9479158743	govtcollegebhairamgarh@gmail.com	अ.ज.जा.
<b>जिला-बिलासपुर</b>					
122	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	बिल्हा	07752-248147	principal@sciencecollege.co.in www.sciencecollege.co.in	सामान्य
123	शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	बिल्हा	07752-228225	gpgacc.hip@gmail.com	सामान्य
124	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	बिल्हा	07752-224249	bilasagirlscollege bilaspur@rediffmail.com	सामान्य
125	शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर	बिल्हा	07752-240531	gmsngc1989@gmail.com	सामान्य
126	शासकीय डॉ. भवर सिंह पोते महाविद्यालय, पेन्द्रा	पेन्द्रा	07751-224663	governmentcollegependra@yahoo.in	अ.ज.जा.
127	शासकीय पं. माधवराव सप्रे महाविद्यालय, पेन्द्रारोड	गौरैला (पेन्द्रारोड)	07751-220108	lalmadhulika@yahoo.com	अ.ज.जा.
128	शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर	तखतपुर	07753-264643	principalgimptakhatpur@gmail.com	सामान्य
129	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा	बिल्हा	07752-259175	govtagrasencollegebilha@yahoo.com	सामान्य
130	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय, कोटा	कोटा	07753-253210	gnkckota@gmail.com	अ.ज.जा.
131	शासकीय मदनलाल शुक्ला महाविद्यालय, सीपत्	मस्तूरी	07752-265050	gmiscseepat@gmail.com	सामान्य
132	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी	मस्तूरी	07752-273135	govtcollegemasturi@gmail.com	सामान्य
133	शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर	कोटा	07753-255490	gmc_ratanpur@rediffmail.com	सामान्य
134	शासकीय महाविद्यालय, मरवाही	मरवाही		-	अ.ज.जा.
<b>जिला-मुंगेली</b>					
135	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र महाविद्यालय, मुंगेली	मुंगेली	07755-264152	jpmcollege@rediffmail.com	सामान्य
136	शासकीय राजीव गांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	लोरमी	07756-208575	rggcollegeormi@gmail.com	सामान्य
137	शासकीय वीरांगना अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, पथरिया	पथरिया	07755-289774	vablgcpth@gmail.com	सामान्य
138	शासकीय महाविद्यालय, सरगांव	पथरिया	07752-275777	saegaoncollege10@gmail.com	सामान्य
139	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कोतरी	लोरमी	9752107107	-	सामान्य
140	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फास्टरपुर (सेतगंगा)	मुंगेली	9406035998	govtcollegefasterpur@yahoo.in	सामान्य

क्रं.	महाविद्यालय का नाम	वि. खण्ड	दूरभाष	ई-मेल	क्षेत्र
<b>जिला-जांजगीर</b>					
141	शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	नवागढ़	07817-222240	tc1pgcollege@gmail.com	सामान्य
142	शासकीय जाज्जल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर	नवागढ़	07817-223908	gjnge2006@gmail.com	सामान्य
143	शासकीय डॉ. इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा	अकलतरा	07817-252540	gdiscakaltara@gmail.com	सामान्य
144	शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद	पामगढ़	9406034909	glazck@gmail.com	सामान्य
145	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	बम्हनीडीह	07819-245807	gpge_cph@yahoo.com	सामान्य
146	शासकीय महाविद्यालय, डभरा	डभरा	07758-273255	govtcollegedabharacg@gmail.com	सामान्य
147	शासकीय महाविद्यालय, मालखरौदा	जैजैपुर	07758-272469	principalmalkharoda@rediffmail.com	सामान्य
148	शासकीय कांती कुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती	सक्ती	07757-204154	govt.kkbaskti@rediffmail.com	सामान्य
149	शासकीय महाविद्यालय, जैजैपुर	जैजैपुर	07757-298709	pri@govt.collegejaijaiipur.com	सामान्य
150	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा	बलौदा	9425230417	naveengovtcollegebaloda@gmail.com	सामान्य
151	शासकीय महाविद्यालय, हसौद	जैजैपुर	7898370386	hasoudc@yahoo.com	सामान्य
152	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पामगढ़	पामगढ़	9425574336	naveencollege.pamgarh@yahoo.com	सामान्य
153	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नवागढ़*	नवागढ़	9981348927	govtcollegenawagarhjanjgir@gmail.com	सामान्य
<b>जिला-कोरबा</b>					
154	शासकीय इ. विश्वेसरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	कोरबा	07759-221458	gevp91981@gmail.com	अ.ज.जा.
155	शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय, कोरबा	कोरबा	07759-223722	minimata89@rediffmail.com	अ.ज.जा.
156	शासकीय मुकुटधर पाण्डे महाविद्यालय, कटघोरा	कटघोरा	07815-250371	mdpcollegektg@gmail.com	अ.ज.जा.
157	शासकीय महाविद्यालय, भैसमा	कोरबा	07752-279410	govtcollegebhaisma@yahoo.com	अ.ज.जा.
158	शासकीय महाविद्यालय, करतला	करतला	07759-279782	gckkartala0538028@gmail.com	अ.ज.जा.
159	शासकीय महाविद्यालय, दीपका	कटघोरा	9425547200	deepkacollege@gmail.com	अ.ज.जा.
160	शासकीय महाविद्यालय, बरपाली	पाली	07759-279222	govtcollegebarpali@yahoo.com	अ.ज.जा.
161	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पाली	पाली	9755177128	ugcollegepali@gmail.com	अ.ज.जा.
162	शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार	कोरबा	9425227782	gbvphardibazar@gmail.com	अ.ज.जा.
<b>जिला-रायगढ़</b>					
163	शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	रायगढ़	07762-222966	kgcraigarh1958@gmail.com	सामान्य
164	शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी महिला महाविद्यालय, रायगढ़	रायगढ़	07762-223104	kmtggc@gmail.com	सामान्य
165	शासकीय पालूराम धनानिया महाविद्यालय, रायगढ़	रायगढ़	07762-228098	pdcollege.raigarh@gmail.com	सामान्य

क्र.	महाविद्यालय का नाम	वि. खण्ड	दूरभाष	ई-मेल	क्षेत्र
166	शासकीय महात्मा गांधी कला/विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया	खरसिया	07762-272048	mggovtcollegekhs@gmail.com	अ.ज.जा.
167	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय, सारंगढ़	सारंगढ़	07768-233306	glpc.dpt@gmail.com	सामान्य.
168	शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा	लैलूंगा	9926588303	srgglailunga@gmail.com	अ.ज.जा.
169	शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	07766-266766	gcdgarh@gmail.com	अ.ज.जा.
170	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	तमनार	07767-200225	amanlumartoppo1003@gmail.com	अ.ज.जा.
171	शासकीय महाविद्यालय, घरघोड़ा	घरघोड़ा	9827195340	pgncg2009@yahoo.com	अ.ज.जा.
172	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जोबी	खरसिया	07762-272048	-	अ.ज.जा.
173	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पुसौर*	पुसौर	-	-	सामान्य
174	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बरमकेला*	बरमकेला	-	-	सामान्य
<b>जिला-जशपुर</b>					
175	शासकीय एन. ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	जशपुरनगर	07763-223539	rbrnespg@gmail.com	अ.ज.जा.
176	शासकीय विजयभूषण सिंहदेव स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जशपुर	जशपुरनगर	07763-223341	girlscollege.jsp@gmail.com	अ.ज.जा.
177	शासकीय ठाकुर शोभा सिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव	पत्थलगांव	07765-299101	tssgovtcollegepathalgaon@gmail.com	अ.ज.जा.
178	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	कुनकुरी	07764-250011	govtbsd2012@yahoo.com	अ.ज.जा.
179	शासकीय महाविद्यालय, बागीचा	बागीचा	07769-210234	govtcbagicha@gmail.com	अ.ज.जा.
180	शासकीय महाविद्यालय, तपकरा	फरसाबहार	07764-250011	naveengovcollegetapkarara@gmail.com	अ.ज.जा.
181	शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला	दुलदुला	07764-257208	duldulacollege.@gmail.com	अ.ज.जा.
182	शासकीय नवीन महाविद्यालय, आरा	जशपुरनगर	9425253275	govtcollegeara@gmail.com	अ.ज.जा.
183	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कांसाबेल	कांसाबेल	9406124832	govtcollegekansabel@gmail.com	अ.ज.जा.
<b>जिला-सरगुजा</b>					
184	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	अंबिकापुर	07774-230921	rgpg.apur1960@yahoo.co.in	अ.ज.जा.
185	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	अंबिकापुर	07774-235266	ggpgcollege.ambikapur@rediffmail.com	अ.ज.जा.
186	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	07774-230087	scienceclgambikapur@gmail.com	अ.ज.जा.
187	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर	सीतापुर	07834-275318	govtspmcollegesitapur@gmail.com	अ.ज.जा.
188	शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय, उदयपुर	उदयपुर	07833-251272	govtdscollegeudaipur@gmail.com	अ.ज.जा.
189	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बतौली	बतौली	9424261553	govtspmcollegesitapur@gmail.com	अ.ज.जा.

क्र.	जिला-सूरजपुर
190	शासकीय सूरजपुर
191	शासकीय
192	शासकीय
193	शासकीय
194	शासकीय
195	शासकीय
196	शासकीय
197	शासकीय
198	शासकीय
<b>जिला-बलसोर</b>	
199	शासकीय रामपुर
200	शासकीय वाडप
201	शासकीय कुसम
202	शासकीय
203	शासकीय
204	शासकीय
205	शासकीय
206	शासकीय
<b>जिला-कोटा</b>	
207	शासकीय स्नातकोत्तर
208	शासकीय
209	शासकीय
210	शासकीय
211	शासकीय
212	शासकीय
213	शासकीय
214	शासकीय

क्र.	महाविद्यालय का नाम	वि. खण्ड	दूरभाष	ई-मेल	क्षेत्र
<b>जिला-सूरजपुर</b>					
190	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर	सूरजपुर	07775-266657	pri.gdc.surajpur@gmail.com	अ.ज.जा.
191	शासकीय कालीदास महाविद्यालय, प्रतापपुर	प्रतापपुर	07777-207305	govtcollegepratappur@gmail.com	अ.ज.जा.
192	शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर	सूरजपुर	9826649062	gcbishrampur@rediffmail.com	अ.ज.जा.
193	शासकीय महाविद्यालय, रामानुजनगर	रामानुजनगर	8823066695	pricollege_ramanujnagar@yahoo.com	अ.ज.जा.
194	शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली	सूरजपुर	9926173173	govtcollegesilphili@gmail.com	अ.ज.जा.
195	शासकीय महाविद्यालय, भैयाथान	भैयाथान	07775-233031	pri.gdcbhaiyathan@gmail.com	अ.ज.जा.
196	शासकीय नवीन महाविद्यालय, ओड़गी	ओड़गी	0773-238009	principalgdcodgi@gmail.com	अ.ज.जा.
197	शासकीय नवीन महाविद्यालय, प्रेमनगर	प्रेमनगर	07775-233031	govt.collegepremnagar@gmail.com	अ.ज.जा.
198	शास. नवीन महा., डुमरिया, जरही	प्रतापपुर	9424258177	govtcollegejarhi@gmail.com	अ.ज.जा.
<b>जिला-बलरामपुर</b>					
199	शासकीय लरगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	07779-276361	cgglse@gamil.com	अ.ज.जा.
200	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाड़फनगर	वाड़फनगर	9479121991	ranidurgawaticollege@gmail.com	अ.ज.जा.
201	शासकीय स्व. श्री महली भगत महाविद्यालय, कुसमी	कुसमी	07778-274216	kusmigovtcollege@gmail.com	अ.ज.जा.
202	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	बलरामपुर	9826879840	gncbalrampur@gmail.com	अ.ज.जा.
203	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर	राजपुर	9993047326	govtrajpurcollege@hotmail.com	अ.ज.जा.
204	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सनावल	रामचन्द्रपुर	9425546384	ranidurgawaticollege@gmail.com	अ.ज.जा.
205	शासकीय नवीन महाविद्यालय, शंकरगढ़	शंकरगढ़	7354302701	shankargarhcollege@rediffmail.com	अ.ज.जा.
206	शासकीय नवीन महाविद्यालय, रामचन्द्रपुर	रामचन्द्रपुर	9479121991	ggramchandrapur@gmail.com	अ.ज.जा.
<b>जिला-कोरिया</b>					
207	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर.	07836-232252	pgcollege.bkp@gmail.com	अ.ज.जा.
208	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर	07836-233630	navingirls.bkp@gmail.com	अ.ज.जा.
209	शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	07771-24125	vivekanandcollege1973@gmail.com	अ.ज.जा.
210	शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी	खडगवा	07771-265026	govtlahiricollege@gmail.com	अ.ज.जा.
211	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर	भरतपुर	07835-267227	gndc.jnk2008@gmail.com	अ.ज.जा.
212	शासकीय महाविद्यालय, खड़गवां	खड़गवां	9424253571	govtnaveencollege@gmail.com	अ.ज.जा.
213	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पटना	बैकुण्ठपुर	9425580963	navincollege.patna@gmail.com	अ.ज.जा.
214	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सोनहत	सोनहत	9425580963	naveencollege.sonhat@gmail.com	अ.ज.जा.

\* चिन्हांकित 05 महाविद्यालय वर्ष 2015 में प्रारंभ किये गये।

## राज्य में संचालित 14 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की सूची

क्रं.	जिला	महाविद्यालय का नाम	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल
1	रायपुर	दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर	0771-2523753	info@durgacollege.in
2	रायपुर	श्री राम संगीत महाविद्यालय, रायपुर	9109116607	srcsaragaon@gmail.com
3	रायपुर	कमला देवी संगीत महाविद्यालय, रायपुर	9893017931	kamalacollege.rjn@gmail.com
4	दुर्ग	कल्याण महाविद्यालय, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग	0788-2223665	office@kalyanpgcollege.org
5	दुर्ग	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग	0788-2242699	bmahila@rediffmail.com
6	दुर्ग	सेठ आर.सी.एस. कला वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग	0788-2322457	rcscollege1964@gmail.com
7	दुर्ग	घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	9826128152	gsakm1978@yahoo.com
8	बिलासपुर	सी.एम.डी. महाविद्यालय, बिलासपुर	9229138958	info@cmdcollege.in
9	बिलासपुर	डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर	9425229233	pr.sc.college@gmail.com
10	मुंगेली	एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली	9425543065	sngcollege31@gmail.com
11	कोरबा	कमला नेहरू महाविद्यालय, कोरबा		
12	सरगुजा	होलीक्रॉस होमसाईस महिला महाविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा	9425270766	hcwca@rediffmail.com
13	जशपुर	गुरु गहिरा संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, जिला-जशपुर	9424187469	csanskrit@gmail.com
14	जांजगीर	पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, सक्ती, जांजगीर चांपा	9425545902	jlndsakti@gmail.com